



इण्डियन ओवरसीज बैंक

केंद्रीय कार्यालय: 763, अण्णा सालै, चेन्नै - 600 002

Indian Overseas Bank

Central Office: 763, Anna Salai, Chennai – 600 002

बैंक के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक

EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING (EGM) OF THE SHAREHOLDERS OF INDIAN OVERSEAS BANK

गुरुवार, 20 नवम्बर, 2025

सुबह 11:00 बजे (आईएसटी)

वर्चुअल मोड - वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो
विजुअल माध्यम (ओएवीएम)

Thursday, 20th November, 2025
11:00 A.M. (IST)

**Video Conferencing (VC) / Other Audio-
Visual Means (OAVM)**

विषयवस्तु

विषयवस्तु	पृष्ठ संख्या
सूचना	3
नोट्स	4
व्याख्यात्मक विवरण	16
नामांकन फॉर्म	24
घोषणा पत्र	25
प्रासंगिक अधिनियमों और विनियमों से उद्धरण	28

महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की समय-सारणी

कार्यक्रमों की समय-सारणी	दिनांक
नामांकन, चुनाव लड़ने के लिए पात्र शेयरधारकों का निर्धारण करने के उद्देश्य से निर्दिष्ट तिथि/समय सीमा ।	17.10.2025 (शुक्रवार)
शेयरधारक निदेशक के चुनाव के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा नामांकन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि (या उससे पहले)	04.11.2025 (मंगलवार)
सक्षम समिति द्वारा नामांकन की जांच	05.11.2025 (बुधवार)
ईजीएम में निदेशक के चुनाव में मतदान करने के हकदार शेयरधारकों का पता लगाने की अंतिम तिथि।	13.11.2025 (गुरुवार)
नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि	15.11.2025 (शनिवार) (शाम 5:00 बजे)
सीडीएसएल वोटिंग प्लेटफॉर्म पर ई-वोटिंग की तिथियां	17.11.2025 (सुबह 9:00 बजे) से 19.11.2025 (शाम 5:00 बजे)
वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) और अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से ईजीएम की तिथि और समय	20.11.2025 (गुरुवार)
ईजीएम का का गृहीत/धारित स्थल”	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, केंद्रीय कार्यालय, 763, अण्णा सालै , चेन्नै 600002



इण्डियन ओवरसीज बैंक
केंद्रीय कार्यालय, 763 अण्णा सालै, चेन्नै 600 002
शेयरधारकों को सूचना

इण्डियन ओवरसीज बैंक (शेयर व बैठकें) विनियमन 2003 (2008 तक यथासंशोधित) के विनियमन 57 के अनुसार एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि गुरुवार, 20 नवम्बर 2025 को सुबह 11.00 बजे विडियो कान्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य श्रव्य दृश्य माध्यम (ओएवीएम) के ज़रिए से शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक का आयोजन निम्नलिखित कार्यों को संपत्र करने हेतु किया जाएगा:

अगली प्रस्तावित संकल्प को विचार करने के लिए, और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन सहित या बिना संशोधन के विशेष संकल्प के रूप में पारित करने के लिए:

बैंक के शेयरधारकों में से (केंद्रीय सरकार से इतर) एक निदेशक का निर्वाचन करने के लिए, बैंक कंपनियों (अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जाएगा) के प्रावधानों के अनुसार, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (जिसे आगे 'विनियमन अधिनियम' कहा जाएगा) और राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (जिसे आगे 'योजना' कहा जाएगा) तथा इण्डियन ओवरसीज बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम, 2003 (2008 तक संशोधित) (जिसे आगे 'विनियम' कहा जाएगा) के प्रावधानों के अनुसार, जो अधिनियम की धारा 19 के तहत बनाए गए हैं, और साथ ही सेबी (सूचीबद्धता अनिवार्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015, संशोधित रूप में ('सेबी सूचीबद्ध विनियम') तथा सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंकों के बोर्ड में निर्वाचित निदेशकों के लिए RBI मास्टर निर्देश 2019 ('उपर्युक्त और उचित मानदंड') के अनुसार, नोटिफिकेशन सं.डीबीआर.एपीपीटी: 9/29.67.001/2019-20 दिनांकित 2 अगस्त, 2019 (03 जून, 2020 तक अद्यतन) द्वारा जारी किए गए ('आरबीआई मास्टर निर्देश'), एवं उनमें किसी भी संशोधन के साथ, और भारत सरकार, डीएफएस अधिसूचना सं. एफ. संख्या 16/83/2013- बीओ. आई दिनांकित 3 सितम्बर, 2013 एवं एफ. संख्या .16/51/2012-बीओ. आई दिनांकित 28 अप्रैल, 2015 के अनुसार, साथ ही भारत सरकार द्वारा गैर-आधिकारिक निदेशकों (एनओडीएस) की नियुक्ति हेतु जारी दिशानिर्देश दिनांकित 25 मार्च, 2015 और 20 जुलाई, 2016 ('जीओआई दिशानिर्देश') और उनमें किसी भी संशोधन के अनुसार, बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम सभा में विशेष संकल्प पारित करके किया जाए।"

" संकल्प लिया गया कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के साथ पठित बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, संबंधित योजना, उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमन और आरबीआई मास्टर निर्देश, अधिसूचनाएं, भारत सरकार के दिशानिर्देश आदि के अनुसार केंद्र सरकार से इतर शेयरधारकों में से एक निदेशक को बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित किया जाएगा और वह चुनाव की तारीख के अगले दिन से पदभार ग्रहण करने के लिए निर्वाचित होगा और निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि पूरी होने तक पद पर बने रहेंगे "

उपर्युक्त चुनाव और संकल्प को सेबी लिस्टिंग विनियमन के विनियमन 25(2ए) के प्रावधानों के तहत भी माना जाएगा।

**निदेशक मंडल की ओर से
एसडी/-**

स्थान: चेन्नै
दिनांक : 18 अक्टूबर 2025

**(अजय कुमार श्रीवास्तव)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ**

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य वृश्य-श्रव्य माध्यमों से असाधारण आम बैठक (ईजीएम)

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") ने अपने परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांकित 8 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांकित 5 मई, 2020, परिपत्र संख्या 22/2020 दिनांकित 15 जून, 2020, परिपत्र संख्या 33/2020 दिनांकित 28 सितंबर, 2020, परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांकित 13 जनवरी, 2021, परिपत्र संख्या 10/2022 दिनांकित 28 दिसंबर, 2022, परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांकित 15 जून, 2020 परिपत्र संख्या 09/2024 दिनांकित 19 सितंबर, 2024, परिपत्र संख्या 09 दिनांकित 25 सितंबर, 2023 और परिपत्र संख्या 03/2025 दिनांकित 22 सितंबर, 2025 के माध्यम से कंपनियों को अगले आदेश तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") या अन्य वृश्य-श्रव्य माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से अपनी असाधारण सामान्य बैठकें (ईजीएम) आयोजित करने की अनुमति दी है।

सेबी (सूचीगत बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 ("सेबी एलओडीआर विनियम") के विनियम 44(2) के अनुसार, शेयरधारकों को ई-वोटिंग की सुविधा कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार प्रदान की जाएगी। बैंक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 1(4)(सी) के अनुरूप, सेबी एलओडीआर विनियम के विनियम 44 के साथ पठित, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रभावी प्रावधानों को लागू सीमा तक अपनाया है।

तदनुसार, बैंक की असाधारण सामान्य बैठक उपरोक्त परिपत्रों और अन्य लागू प्रावधानों के अनुपालन में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है।"

बैंक ने ईजीएम के लिए रिमोट ई-वोटिंग वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान करने तथा ईजीएम के संचालन के लिए सहायक के रूप में सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) को नियुक्त किया है।

शेयरधारक सूचना में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएम में शामिल हो सकते हैं। यह सूचना 20 नवंबर, 2025 को सुबह 10:30 बजे से, ईजीएम शुरू होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले, शेयरधारकों के लिए खुली रहेगी। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएम में शामिल होने की विंडो निर्धारित समय के 30 मिनट बाद बंद की जा सकती है।

उपर्युक्त सेबी और एमसीए परिपत्रों के अनुरूप, ईजीएम की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन शेयरधारकों को भेजी जा रही है जिनके ईमेल पते बैंक/डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत हैं। शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि सूचना बैंक की वेबसाइट www.iob.bank.in पर अपलोड कर दी गई है। यह सूचना स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमशः www.nseindia.com और www.bseindia.com से भी प्राप्त की जा सकती है और ईजीएम सूचना सीडीएसएल (रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी) की वेबसाइट www.cdsindia.com पर भी उपलब्ध है।

[https://wisdom.cameoindia.com](http://www.wisdom.cameoindia.com) लिंक पर क्लिक करके अस्थायी रूप से अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत करा सकते हैं। बैंक का केंद्रीय कार्यालय, संख्या 763, अण्णा सालै, चेन्नै - 600 002, बैठक का स्थल माना जाएगा।

शेयरधारक निदेशक के चुनाव में भाग लेने के लिए पात्र शेयरधारकों के लिए निर्दिष्ट/निर्धारित समय सीमा :

शुक्रवार, 17 अक्टूबर 2025 को निर्दिष्ट/अंतिम तिथि के रूप में तय करने का निर्णय लिया गया है, अर्थात्, केंद्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों में से एक निदेशक के चुनाव के लिए नामांकन, चुनाव लड़ना और वोट देना।

ई-वोटिंग के लिए मतदान अधिकार और अंतिम तिथि:

बैंकिंग कंपनियों (उपक्रम का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उप-धारा (2ई) के संदर्भ में, किसी भी शेयरधारक को, केंद्रीय सरकार के अलावा, उस बैंक में अपने द्वारा धारण किए गए किसी भी ऐसे शेयर पर मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं होगा जो बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक हो।"

"उपरोक्त के अधीन, प्रत्येक शेयरधारक, जो शुक्रवार, 17 अक्टूबर 2025 को निर्दिष्ट/अंतिम तिथि) के अनुसार शेयरधारक के रूप में पंजीकृत है, निदेशक मंडल में नामांकन और चुनाव के उद्देश्य के लिए ईजीएम में भाग लेने के पात्र होगा।"

रिमोट ई-वोटिंग के उद्देश्य से, बैंक के शेयरधारक, जो गुरुवार तक भौतिक या अभौतिक रूप में शेयर रखते हैं, 13 नवंबर, 2025 तक के सभी शेयरधारक, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, रिमोट ई-वोटिंग विंडो के दौरान इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने के पात्र होंगे। ईजीएम के दौरान भी वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और बैठक में भाग लेने वाले वे शेयरधारक, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, बैठक के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से अपने अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।

इण्डियन ओवरसीज बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2003 के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम पर है, तो रजिस्टर में पहले नामित व्यक्ति को, मतदान के संबंध में, उसका एकमात्र धारक माना जाएगा। इस प्रकार, यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर हैं, तो केवल पहले नामित व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने का हकदार है और दूरस्थ ई-वोटिंग या ईजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से एजेंडे पर वोट देने के लिए पात्र है।

दूरस्थ ई-वोटिंग:

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 (संशोधित) के विनियम 44 और एमसीए (कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय) के अनुसार परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांकित 08 अप्रैल, 2020, संख्या 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांकित 05 मई, 2020, 22/2020 दिनांकित 15 जून, 2020, परिपत्र संख्या 33/2020 दिनांकित 28 सितंबर, 2020 और परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांकित 13 जनवरी, 2021 और परिपत्र संख्या 10/2022 दिनांकित 28 दिसंबर, 2022, परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांकित 25 सितंबर, 2023, परिपत्र संख्या 09/2024 दिनांकित 19 सितंबर, 2024 और सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांकित 12 मई, 2020 और परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी21/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021, सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2022/47 दिनांकित 28 अप्रैल, 2022, सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआर/पी/2022/62 दिनांकित 13 मई, 2022, सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/167 दिनांकित 07 अक्टूबर, 2023 सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2024/133 दिनांकित 10 अक्टूबर, 2024 और

स्टॉक एक्सचेंजों के साथ समान लिस्टिंग समझौतों के तहत, आपका बैंक शेयरधारकों को नोटिस में उल्लिखित मद पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने में सक्षम बनाने के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने में प्रसन्न है, जिसके लिए बैंक ने केंद्रीय डिपॉजिटरी सेवाएं नियुक्त की हैं। (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) को रिमोट ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए ई-वोटिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। रिमोट ई-वोटिंग वैकल्पिक है।

शेयरधारकों/लाभार्थी स्वामियों के ई-वोटिंग अधिकारों की गणना गुरुवार को उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों पर की जाएगी। रिमोट ई-वोटिंग के लिए अंतिम तिथि 13 नवंबर, 2025 है। अंतिम तिथि तक बैंक के भौतिक या अभौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट दे सकते हैं। बैंक ने आर. श्रीधरन एंड एसोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरीज (एफसीएस संख्या 4775) (सीपी संख्या 3239) के श्री आर. श्रीधरन को रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया के साथ-साथ ईजीएम की तिथि पर ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए संवीक्षक नियुक्त किया गया है।

रिमोट ई-वोटिंग के लिए शेयरधारकों के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

चरण 1 : डिपॉजिटरीज सीडीएसएल/एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से पहुंच, यदि व्यक्तिगत शेयरधारक डीमैट मोड में शेयर रखते हैं।

चरण 2 : भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों और डीमैट रूप में गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों के मामले में सीडीएसएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से प्रवेश।

- (i) रिमोट ई-वोटिंग अवधि सोमवार, 17 नवंबर, 2025 को सुबह 9:00 बजे (आईएसटी) से शुरू होकर बुधवार, 19 नवंबर, 2025 को शाम 5:00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, बैंक के वे शेयरधारक, जिनके पास गुरुवार को अंतिम तिथि तक भौतिक रूप में या अभौतिक रूप में शेयर हैं, 13 नवंबर, 2025 तक मतदान करने वाले सभी मतदाता इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकेंगे। इसके बाद, सीडीएसएल द्वारा मतदान के लिए ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
- (ii) जिन शेयरधारकों ने बैठक की तिथि से पहले ही मतदान कर दिया है, वे बैठक में मतदान करने के हकदार नहीं होंगे।
- (iii) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अंतर्गत, दिनांकित 09 दिसंबर, 2020 के सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी /सीआईआर /पी/2020/242 के अनुसार, सूचीबद्ध संस्थाओं को सभी शेयरधारकों के प्रस्तावों के संबंध में अपने शेयरधारकों को दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करना आवश्यक है। हालाँकि, यह देखा गया है कि सार्वजनिक गैर-संस्थागत शेयरधारकों/खुदरा शेयरधारकों की भागीदारी नगण्य स्तर पर है।

वर्तमान में, भारत में सूचीबद्ध संस्थाओं को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने वाले कई ई-वोटिंग सेवा प्रदाता (ईएसपी) हैं। इसके लिए शेयरधारकों को विभिन्न ईएसपी पर पंजीकरण कराना और कई उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड रखना आवश्यक है।

मतदान प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने के लिए, एक सार्वजनिक परामर्श के बाद, सभी डीमैट खाताधारकों को उनके डीमैट खातों/डिपॉजिटरी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों की वेबसाइटों के माध्यम से एकल लॉगिन क्रेडेंशियल के माध्यम से ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। डीमैट खाताधारक ईएसपी में दोबारा पंजीकरण किए बिना अपना वोट डाल सकेंगे, जिससे न केवल निर्बाध प्रमाणीकरण की सुविधा होगी, बल्कि ई-वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेने की सुगमता और सुविधा भी बढ़ेगी।

(iv) सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीआईआर/पी/2020/242 के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास रखे गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। शेयरधारकों को **सूचना** दी जाती है कि वे ई-वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करें।

उपर्युक्त सेबी परिपत्र के अनुसार, **डीमैट मोड सीडीएसएल/एनएसडीएल** में **प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग** और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन प्रणाली नीचे दी गई है:

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन विधि
सीडीएसएल डिपॉजिटरी के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	<p>1) जिन उपयोगकर्ताओं ने सीडीएसएल ईजी/ईजीएस्ट सुविधा का विकल्प चुना है, वे अपनी मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड के ज़रिए लॉग इन कर सकते हैं। बिना किसी अतिरिक्त प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज पर पहुँचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। ईजी/ईजीएस्ट में लॉग इन करने के लिए, उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि वे सीडीएसएल की वेबसाइट www.cdsindia.com पर जाएँ और लॉग इन आइकन और मार्फ ईजी न्यू (टोकन) टैब पर क्लिक करें।</p> <p>2) सफल लॉगिन के बाद, ईजी/ईजीएस्ट उपयोगकर्ता उन पात्र कंपनियों के लिए ई-वोटिंग विकल्प देख पाएँगे जहाँ कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ई-वोटिंग चल रही है। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, उपयोगकर्ता रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होकर मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता का ई-वोटिंग पृष्ठ देख पाएँगे। इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं के सिस्टम तक पहुँचने के लिए लिंक भी दिए गए हैं, ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर जा सकें।</p> <p>3) यदि उपयोगकर्ता ईजी/ईजीएस्ट के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण का विकल्प सीडीएसएल वेबसाइट www.cdsindia.com पर उपलब्ध है और लॉगिन और मार्फ ईजी न्यू (टोकन) टैब पर क्लिक करें और फिर पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें।</p> <p>4) वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता www.cdsindia.com के होम पेज पर उपलब्ध ई-वोटिंग लिंक से डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई-वोटिंग पृष्ठ तक पहुँच सकता है। सिस्टम डीमैट खाते में दर्ज पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता ई-वोटिंग विकल्प देख पाएगा जहाँ ई-वोटिंग चल रही है और सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं के सिस्टम तक सीधे पहुँच भी पाएगा।</p>
	1) यदि आप पहले से ही एनएसडीएल आईडीईएस सुविधा के लिए

व्यक्तिगत शेयरधारक जो एनएसडीएल डिपॉजिटरी में डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखते हैं।

पंजीकृत हैं, तो कृपया एनएसडीएल की ई-सेवा वेबसाइट पर जाएं। अपने पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर निम्न यूआरएल: <https://eservices.nsdl.com> टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें। ई-सेवाओं का होम पेज लॉन्च होने के बाद, "लॉगिन" के अंतर्गत "बेनिफिशियल ओनर" आइकन पर क्लिक करें जो 'आइडीईएस' अनुभाग में उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप ई-वोटिंग सेवाएँ देख पाएंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के अंतर्गत "ई-वोटिंग तक पहुँच" पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पृष्ठ देख पाएंगे। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें।

- 2) यदि उपयोगकर्ता आइडीईएस ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण का विकल्प <https://eservices.nsdl.com> पर उपलब्ध है। "आइडीईएस" के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करें पोर्टल चुनें या <https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectRegistration.jsp> पर क्लिक करें।
- 3) <https://www.evoting.nsdl.com/> निम्न यूआरएल टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें। ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च होने के बाद, 'शेयरधारक/सदस्य' सेक्शन में उपलब्ध "लॉगिन" आइकन पर क्लिक करें। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी (यानी, एनएसडीएल के साथ आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या मीटिंग के दौरान वर्चुअल मीटिंग और वोटिंग में शामिल होने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा।
- 4) ओटीपी आधारित लॉगिन के लिए आप <https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp> पर क्लिक कर सकते हैं। आपको अपनी 8 अंकों की डीपी आईडी, 8 अंकों की क्लाइंट आईडी, पैन नंबर, सत्यापन कोड दर्ज करना होगा और ओटीपी जनरेट करना होगा। पंजीकृत ईमेल आईडी/मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करें। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा जहाँ आप ई-वोटिंग पृष्ठ देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोट करने के लिए ई-वोटिंग सेवा

प्रदाता की वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा ।	
व्यक्तिगत शेयरधारक (डीमैट मोड में प्रतिभूतियां धारण करने वाले) अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) के माध्यम से लॉगिन करते हैं	आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल / सीडीएसएल में पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद, आपको ई-वोटिंग विकल्प दिखाई देगा। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने के बाद, सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको लिए एनएसडीएल / सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा, जहाँ आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोट करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण नोट:

जो सदस्य यूजर आईडी/पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सूचना दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध यूजर आईडी भूल जाएं और पासवर्ड भूल जाएं विकल्प का उपयोग करें।

डिपॉजिटरी अर्थात् सीडीएसएल और एनएसडीएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क।

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क पर या टोल फ्री नंबर 1800 21 09911 पर संपर्क कर सकते हैं।
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क पर या टोल फ्री नंबर 022 4886 7000 और 022 2499 7000 पर कॉल कर सकते हैं।

(v) भौतिक शेयरधारकों और डीमैट रूप में व्यक्तिगत होल्डिंग के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन प्रणाली ।

- 1) शेयरधारकों को ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करना चाहिए ।
- 2) "शेयरधारक" मॉड्यूल पर क्लिक करें।
- 3) अब अपना यूजर आईडी दर्ज करें
 ए. सीडीएसएल के लिए: 16 अंकों की लाभार्थी आईडी,
 बी. एनएसडीएल के लिए: 8 अक्षरों की डीपी आईडी और उसके बाद 8 अंकों की क्लाइंट आईडी,
 सी. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को बैंक के साथ पंजीकृत फोलियो नंबर दर्ज करना चाहिए।
- 4) इसके बाद प्रदर्शित इमेज़ वेरिफिकेशन दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करें।

5) यदि आपके पास डीमैट फॉर्म में शेयर हैं और आपने www.evotingindia.com पर लॉग इन किया है और किसी कंपनी के पूर्व ई-वोटिंग पर वोट किया है, तो आपके मौजूदा पासवर्ड का उपयोग किया जाना है।

6) यदि आप पहली बार उपयोगकर्ता हैं, तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

भौतिक शेयरधारकों और डीमैट में शेयर रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के अलावा अन्य के लिए।	
पैन	<p>आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 अंकों का अल्फा-न्यूमेरिक *पैन दर्ज करें (डीमैट शेयरधारकों के साथ-साथ भौतिक शेयरधारकों दोनों के लिए लागू)</p> <p>जिन शेयरधारकों ने कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ अपना पैन अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी/आरटीए द्वारा भेजे गए अनुक्रम संख्या का उपयोग करें या कंपनी/आरटीए से संपर्क करें।</p>
लाभांश बैंक विवरण या जन्म तिथि (डीओबी)	<p>लॉगइन करने के लिए अपने डीमैट खाते या कंपनी रिकॉर्ड में दर्ज लाभांश बैंक विवरण या जन्म तिथि (दिन/माह/वर्ष प्रारूप में) दर्ज करें।</p> <p>यदि दोनों विवरण डिपॉजिटरी या बैंक के पास दर्ज नहीं हैं, तो कृपया लाभांश बैंक विवरण फ़ील्ड में सदस्य आईडी / फोलियो नंबर दर्ज करें।</p>

vi) इन विवरणों को उचित रूप से दर्ज करने के बाद, "सबमिट" टैब पर क्लिक करें।

vii) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक सीधे कंपनी चयन स्क्रीन पर पहुँच जाएंगे। हालाँकि, डीमैट रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक अब 'पासवर्ड क्रिएशन' मेनू पर पहुँचेंगे, जहाँ उन्हें नए पासवर्ड फ़ील्ड में अपना लॉगिन पासवर्ड अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा। कृपया ध्यान दें कि डीमैट धारकों को इस पासवर्ड का उपयोग किसी अन्य कंपनी के प्रस्तावों पर मतदान के लिए भी करना होगा, जिस पर वे मतदान करने के पात्र हैं, बशर्ते कि वह कंपनी सीडीएसएल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से ई-वोटिंग का विकल्प चुनती हो। यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने का पूरा ध्यान रखें।

viii) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए, विवरण का उपयोग केवल इस नोटिस में निहित प्रस्तावों पर ई-वोटिंग के लिए किया जा सकता है।

ix) ईजीएम 2025 के एजेंडे की ई-वोटिंग के लिए ईवीएसएन: 251014004 पर क्लिक करें।

x) मतदान पृष्ठ पर, आपको "प्रस्ताव विवरण" दिखाई देगा और उसके सामने मतदान के लिए "हाँ/नहीं" विकल्प दिखाई देगा। अपनी इच्छानुसार हाँ या नहीं विकल्प चुनें। हाँ विकल्प का अर्थ है कि आप प्रस्ताव से सहमत हैं और नहीं विकल्प का अर्थ है कि आप प्रस्ताव से असहमत हैं।

xi) यदि आप संपूर्ण संकल्प विवरण देखना चाहते हैं तो "रिज़ोल्यूशन फ़ाइल लिंक" पर क्लिक करें।

xii) रिज़ोल्यूशन के चयन के बाद आपको वोट डालने का निश्चय करना है और फिर "सबमिट" पर क्लिक करना है। एक पुष्टि बॉक्स आपके सामने प्रदर्शित होगा। यदि आप अपने वोट को पुष्ट करना चाहते हैं तो "ओके" को क्लिक करें अन्यथा अपना वोट बदलने के लिए "कैंसिल" पर क्लिक करें और तदनुसार अपना वोट बदलें।

xiii) एक बार अपने वोट की पुष्टि करने के बाद अपको अपने वोट में बदलाव करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

xiv) आप वोटिंग पेज पर "क्लिक हियर टू प्रिंट" विकल्प से डाले गए वोटों का प्रिंट भी ले सकते हैं।

xv) यदि कोई डीमैट खाता धारक अपना लाग इन पासवर्ड भूल गया है तो उसे यूजर आईडी और इमेज वेरिफिकेशन कोड प्रविष्ट करना होगा और फोरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना होगा।

xvi) यदि कोई बीआर/पीओए अपलोड किया गया है तो अपलोड करने का एक वैकल्पिक प्रावधान भी है, जिसे सत्यापन के लिए जांचकर्ता को उपलब्ध कराया जाएगा।

वे शेयरधारक जिनका ई-मेल एड्रेस डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं है, उनका इस नोटिस में प्रस्तावित रिजोल्यूशन के लिए ई-वोटिंग हेतु लाग इन क्रेडेंशिअल प्राप्त करने की प्रक्रिया:

1. **भौतिक शेयरधारकों के लिए** - कृपया ऑनलाइन निवेशक पोर्टल <https://wisdom.cameoindia.com/> पर लॉग इन करके आवश्यक विवरण जैसे फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) प्रदान करें [1](#)
2. **डीमैट शेयरधारकों के लिए** - कृपया अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) के साथ अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट करें।
3. **व्यक्तिगत डीमैट शेयरधारकों के लिए** - कृपया अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) के साथ अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट करें, जो ई-वोटिंग और डिपॉजिटरी के माध्यम से वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के दौरान अनिवार्य है।

बैठक के दौरान वीसी/ओएवीएम और ई-वोटिंग के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

1. ईजीएम के दिन बैठक में उपस्थित होने और ई-वोटिंग करने की प्रक्रिया ऊपर ई-वोटिंग के लिए दी गई निर्देशों के समान है।"
2. बैठक में भाग लेने के लिए वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक उपलब्ध होगा, जहां ई-वोटिंग के लिए ऊपर उल्लिखित निर्देशों के अनुसार सफल लॉगिन के बाद कंपनी का ईवीएसएन प्रदर्शित किया जाएगा।
3. शेयरधारकों को बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप/आईपैड के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
4. आगे शेयरधारक को बैठक के दौरान कैमरा को अनुमति देना आवश्यक होगा और किसी बाधा से बचने के लिए अच्छे स्पीड वाले इंटरनेट का प्रयोग करें।
5. कृपया ध्यान दें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट से या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से लैपटॉप से कनेक्ट होने वाले प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो समस्या का अनुभव हो सकता है। इसलिए, उपरोक्त किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से बचने के लिए स्टेबल वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सुझाव दिया जाता है।
6. शेयरधारक सूचना में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले और बाद में वीसी/ओएवीएम मोड के माध्यम से ईजीएम में शामिल हो सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भागीदारी की सुविधा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 1,000 शेयरधारकों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें वृहत्त शेयरधारक (2% या अधिक शेयरधारिता रखने वाले शेयरधारक), प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी, लेखा परीक्षा समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति के अध्यक्ष, लेखा परीक्षक आदि शामिल नहीं होंगे, जिन्हें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बिना किसी प्रतिबंध के ईजीएम में भाग लेने की अनुमति है।

7. जो शेयरधारक बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करना/प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे investor@iobnet.co.in पर अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए अपना अनुरोध भेजकर खुद को वक्ता के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं। वक्ता शेयरधारक के पंजीकरण के लिए विंडो 14 नवंबर, 2025 से 16 नवंबर, 2025 तक रखी जाएगी। जो शेयरधारक ईजीएम के दौरान बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनके पास प्रश्न हैं, वे अपने प्रश्न 16 नवंबर, 2025 से पहले अपने नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए investor@iobnet.co.in पर भेज सकते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर बैंक द्वारा ईमेल द्वारा उपयुक्त रूप से दिया जाएगा।
8. जिन शेयरधारकों ने स्वयं को वक्ता के रूप में पंजीकृत कराया है, केवल उन्हें ही बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने की अनुमति होगी।
9. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों को इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2003 के विनियम 58 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अनुसार कोरम की गणना के लिए गिना जाएगा।
10. केवल वे शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएम में उपस्थित हैं और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं हैं, ईजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट देने के पात्र होंगे।
11. एक बार जब कोई सदस्य प्रस्ताव पर वोट डाल देता है, तो उसे बाद में उसमें परिवर्तन करने या पुनः वोट डालने की अनुमति नहीं होगी।
12. यदि शेयरधारकों द्वारा ईजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग के माध्यम से कोई वोट डाला जाता है और यदि उन्हीं शेयरधारकों ने वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से बैठक में भाग नहीं लिया है, तो ऐसे शेयरधारकों द्वारा डाले गए वोट को अवैध माना जाएगा क्योंकि बैठक के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा केवल बैठक में भाग लेने वाले शेयरधारकों के लिए उपलब्ध है।
13. जिन शेयरधारकों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान किया है, वे ईजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे। हालाँकि, वे ईजीएम में मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।

गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों और संरक्षकों के लिए नोट - केवल दूरस्थ मतदान के लिए

- गैर - वैयक्तिक शेयरधारकों (यानि वैयक्तिक, एचयूएफ, एनआरआई इत्यादि के अलावा) और संरक्षकों को www.evotingindia.com पर लाग इन करना होता है और स्वयं को "कार्पोरेट" मॉड्यूल में पंजीकृत करना होता है।
- संस्था की मुहर और हस्ताक्षर सहित पंजीकरण फॉर्म की स्कैन की गई प्रति helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल की जानी चाहिए।
- लॉगिन विवरण प्राप्त करने के बाद, एडमिन लॉगिन और पासवर्ड का उपयोग करके एक कंप्लायंस उपयोगकर्ता बनाया जाना चाहिए। कंप्लायंस उपयोगकर्ता उस खाते (खातों) को लिंक कर सकेगा जिसके लिए वह वोट करना चाहता है।
- लॉगिन में लिंक किए गए खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com पर भेजी जाएगी और खातों के अनुमोदन के बाद वे अपना वोट डाल सकेंगे।

- बोर्ड के संकल्प और पावर ऑफ अटोर्नी (पीओए) की स्कैन की गई प्रति, जो उन्होंने कस्टोडियन के पक्ष में जारी की है, यदि कोई हो, तो उसे पीडीएफ प्रारूप में सिस्टम में अपलोड किया जाना चाहिए ताकि जांचकर्ता उसे सत्यापित कर सकें।
- वैकल्पिक रूप से, गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों को संबंधित बोर्ड संकल्प/प्राधिकरण पत्र आदि को विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, जो वोट देने के लिए अधिकृत हैं, के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ जांचकर्ता को और बैंक को ई-मेल पते पर भेजना अनिवार्य है; [investor@iobnet.co.in पर](mailto:investor@iobnet.co.in), यदि उन्होंने व्यक्तिगत टैब से वोट किया है और उसे सीडीएसएल ई-वोटिंग प्रणाली में अपलोड नहीं किया है, तो जांचकर्ता द्वारा सत्यापन के लिए उसकी प्रतिलिपि चिह्नित करके [rsaevoting@gmail.com पर भेजें।](mailto:rsaevoting@gmail.com)

यदि आपके पास ईजीएम में भाग लेने और ई-वोटिंग सिस्टम से ई-वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप [helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल लिख सकते हैं](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) या टोल फ्री नंबर 1800 21 09911 पर संपर्क कर सकते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से संबंधित सभी शिकायतें श्री राकेश दलवी, वरिष्ठ प्रबंधक, (सीडीएसएल) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्लूचरएक्स, मफतलाल मिल कंपाउंडस, एनएम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई - 400 013 को भेजी जा सकती हैं या [helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल भेजें](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) या टोल फ्री नंबर 1800 21 09911 पर कॉल करें।

प्रॉक्सी की नियुक्ति:

एमसीए के के परिपत्र संखा 14/2020 दिनांकित 8 अप्रैल, 2020 और इस संबंध में जारी अन्य प्रासंगिक परिपत्रों के अनुसार, इस ईजीएम में शेयरधारकों की ओर से उपस्थित होने और मतदान करने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है। तदनुसार, प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची इस सूचना के साथ संलग्न नहीं हैं।

अधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 2003 (2008 तक संशोधित) के विनियम 69 के अनुसार, कॉर्पोरेट निकाय वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने, उसमें भाग लेने और ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के लिए अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करने के हकदार हैं। संस्थागत/कॉर्पोरेट शेयरधारकों (अर्थात्, वैयक्तिक /एचयूएफ, एनआरआई, आदि के अलावा) को अपने बोर्ड प्रस्ताव या शासी निकाय प्रस्ताव/प्राधिकरण आदि की स्कैन की हुई प्रति (पीडीएफ/जेपीईजी प्रारूप) भेजनी होगी, जिसमें उनके प्रतिनिधि को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने और ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के लिए अधिकृत किया गया हो। उक्त संकल्प/प्राधिकरण को संवीक्षक को उनके पंजीकृत ईमेल पते [rsaevoting@gmail.com पर ईमेल द्वारा भेजा जाएगा, जिसकी प्रतिलिपि \[investor@iobnet.co.in पर ईजीएम की तिथि से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् शनिवार, 15 नवंबर, 2025 को शाम 4.00 बजे \\(आईएसटी\\) तक भेजी जाएगी।\]\(mailto:investor@iobnet.co.in\)](mailto:rsaevoting@gmail.com)

पते में परिवर्तन:

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे औपचारिक अनुरोध, यदि कोई हो, बैंक के शेयर हस्तांतरण एजेंट को निम्नलिखित पते पर भेजें:

मेसर्स कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड

(इकाई-इण्डियन ओवरसीज़ बैंक)

सुब्रमणियन बिल्डिंग, पांचवीं मंजिल,

नंबर 1 क्लब हाउस रोड, चेन्नै - 600 002

टेलीफ़ोन: 044 - 4002 0700

ऑनलाइन निवेशक पोर्टल: <https://wisdom.cameoindia.com>

वेबसाइट: www.cameoindia.com

इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे किसी भी परिवर्तन की सूचना, यदि कोई हो, केवल अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों को ही दें।

पैन, केवाईसी, बैंक विवरण और नामांकन प्रस्तुत करने के मानदंड़:

सेबी मास्टर परिपत्र सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/पीओडी-1/पी/सीआईआर/2024/37 दिनांकित 07 मई, 2024 के अनुसार, भौतिक प्रतिभूतियों के धारकों द्वारा पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन प्रस्तुत करना अनिवार्य है और यह प्रावधान करता है कि प्रतिभूति धारकों (भौतिक रूप में प्रतिभूतियां धारण करने वाले) को कोई भी लाभांश/ब्याज, जिनके फोलियो में पैन या नामांकन का विकल्प या संपर्क विवरण या मोबाइल नंबर या बैंक खाता विवरण या नमूना हस्ताक्षर अपडेट नहीं हैं, वे 01 अप्रैल, 2024 से केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से लाभांश/ब्याज के किसी भी भुगतान के लिए पात्र होंगे, बशर्ते कि वे उपरोक्त सभी विवरण पूरी तरह से प्रस्तुत करें।

सूचीबद्ध कंपनियों में भौतिक प्रतिभूतियों के सभी धारकों के लिए पैन, नामांकन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और उनके संबंधित फोलियो नंबरों के लिए नमूना हस्ताक्षर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तदनुसार, यह एक बार फिर दोहराया जाता है कि भौतिक प्रतिभूतियों के सभी धारकों और दावेदारों के लिए उपर्युक्त सभी विवरण आरटीए को प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

उपरोक्त सेबी परिपत्र के अनुसार, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे नीचे दिए गए फॉर्म में वैध पैन, ई-मेल पता, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण और नामांकन विवरण तुरंत नीचे दिए गए पते पर आरटीए को भेजें:

क्रमांक	रूप	उद्देश्य
1	फॉर्म आईएसआर -1	पैन, केवाईसी विवरण पंजीकृत/अद्यतित करने के लिए
2	फॉर्म आईएसआर -2	बैंक द्वारा प्रतिभूति धारक के हस्ताक्षर की पुष्टि हेतु
3	फॉर्म आईएसआर -3	नामांकन 4 फॉर्म से बाहर निकलने के लिए घोषणा पत्र
4	फॉर्म आईएसआर -13	नामांकन फॉर्म
5	फॉर्म आईएसआर -14	नामांकन रद्द करना या उसमें परिवर्तन (यदि कोई हो)

कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड.

(इकाई-इण्डियन ओवरसीज़ बैंक)

सुब्रमणियन बिल्डिंग, पांचवीं मंजिल,

नंबर 1 क्लब हाउस रोड, चेन्नै - 600 002

टेलीफ़ोन: 044 - 4002 0700

भौतिक होल्डिंग्स का डीमैटरियलाइजेशन:

सेबी ने सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के प्रासंगिक प्रावधानों में संशोधन किया है ताकि सूचीबद्ध कंपनियां 01 अप्रैल 2019 से भौतिक रूप में रखी गई प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के अनुरोध को स्वीकार न करें। इसके अलावा, संशोधन 2022 के तहत यह अनिवार्य किया गया है कि भौतिक या डीमैट रूप में रखी गई प्रतिभूतियों का ट्रांसमिशन या ट्रांसपोज़िशन केवल डीमैट रूप में ही किया जाएगा। जो शेयरधारक इस तिथि के बाद भी भौतिक रूप में शेयर रखना जारी रखते हैं, वे आगे के हस्तांतरण के लिए बैंक/उसके आरटीए के पास शेयर जमा नहीं कर पाएंगे। यदि वे कोई हस्तांतरण करना चाहते हैं, तो उन्हें अनिवार्य रूप से शेयरों को डीमैट रूप में परिवर्तित करना होगा। केवल भौतिक रूप में प्रतिभूतियों के ट्रांसमिशन या ट्रांसपोज़िशन के अनुरोध ही आरटीए द्वारा स्वीकार किए जाएंगे।

उपरोक्त संशोधन के मद्देनजर, बैंक के उन शेयरधारकों, जिनके पास इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के भौतिक शेयर हैं, को एक बार फिर सूचना दी जाती है कि वे अपने शेयरों को डीमैटरियलाइज़ करवा लें। शेयरधारक किसी भी डिपॉजिटरी प्रतिभागी के माध्यम से दोनों डिपॉजिटरी, अर्थात् नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, या सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, में से किसी में भी डीमैट खाता खोल सकते हैं।

शेयरों के डीमटरियलाइजेशन के लाभ:

शेयर प्रमाणपत्र के खोने और खराब होने का कोई खतरा नहीं, प्रतिभूतियों को रखने का आसान और सुविधाजनक तरीका, प्रतिभूतियों का तत्काल हस्तांतरण, प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के लिए कम कागजी कार्रवाई और कम लेनदेन लागत आदि।

रिमोट ई-वोटिंग और ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग के परिणाम:

ईजीएम में ई-वोटिंग समाप्त होने के तुरंत बाद, संवीक्षक सबसे पहले ईजीएम के दौरान डाले गए मतों की गणना करेगा, उसके बाद रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से डाले गए मतों को अनल्लॉक करेगा और ईजीएम समाप्त होने के 48 घंटे के भीतर, पक्ष या विपक्ष में डाले गए कुल मतों, यदि कोई हों, की एक समेकित संवीक्षक रिपोर्ट अध्यक्ष या उनके द्वारा लिखित रूप से अधिकृत किसी व्यक्ति को प्रस्तुत करेगा, जिस पर वह प्रतिहस्ताक्षर करेगा। रिमोट ई-वोटिंग के परिणामों को ईजीएम में ई-वोटिंग के परिणामों के साथ मिलाकर बैंक अपनी वेबसाइट पर घोषित करेगा और स्टॉक एक्सचेंजों को भी सूचित करेगा।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के लिए

-एसडी/-

स्थान: चेन्नै

दिनांक: 18 अक्टूबर 2025

(अजय कुमार श्रीवास्तव)
प्रबंध निदेशक व सीईओ

व्याख्यात्मक विवरण

बैठक के कार्य के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को दर्शनी वाला व्याख्यात्मक विवरण नीचे दिया गया है और यह नोटिस का हिस्सा है।

क) एक शेयरधारक निदेशक का चुनाव:

शेयरधारक निदेशक के चुनाव की कानूनी आवश्यकता:

बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (i) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक नए बैंक के निदेशक मंडल में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार निदेशक शामिल होंगे, जहां उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2बी) के खंड (सी) के तहत जनता को जारी बैंक की इकिटी पूँजी है।

ए) कुल चुकता पूँजी के सोलह प्रतिशत से अधिक नहीं	- एक निदेशक
बी) कुल चुकता पूँजी का प्रतिशत सोलह प्रतिशत से अधिक, किन्तु बत्तीस प्रतिशत से अधिक नहीं	- दो निदेशक
सी) कुल चुकता पूँजी का बत्तीस प्रतिशत से अधिक	- तीन निदेशक

शेयरधारकों द्वारा, केंद्रीय सरकार को छोड़कर, अपने आप में से चुना जाना।

30 सितम्बर 2025 तक बैंक में सार्वजनिक शेयरधारिता 5.39% है, इसलिए केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारक बैंक के बोर्ड में अपने बीच से एक निदेशक का चुनाव करने के हकदार हैं।

चुनाव का कारण

21 अक्टूबर 2022 को आयोजित अपनी बैठक 15 दिसम्बर 2022 को एक असाधारण सामान्य बैठक (ईजीएम) बुलाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी, जिसमें केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से श्री नवीन प्रकाश सिन्हा, जिन्होंने 07, अक्टूबर 2022 को इस्तीफा दे दिया था, के स्थान पर एक शेयरधारक निदेशक का चुनाव किया जाएगा।

तदनुसार, बैंक ने 15 दिसंबर, 2022 को बैंक के शेयरधारकों की ईजीएम बुलाने के लिए 08 नवंबर, 2022 को एक नोटिस जारी किया। बैंक को श्री संजय रस्तोगी जी से नामांकन प्राप्त हुआ जिन्हें 03 दिसंबर, 2022 को तीन साल की अवधि के लिए यानी 02 दिसंबर, 2025 तक बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में चुना गया है।

अब, वर्तमान शेयरधारक निदेशक, श्री संजय रस्तोगी का कार्यकाल 02 दिसंबर, 2025 को पूरा हो रहा है। 03 दिसंबर, 2025 को उत्पन्न होने वाले शेयरधारक निदेशक के रिक्त स्थान को भरने के लिए, एक असाधारण सामान्य बैठक (ईजीएम) बुलाकर, केंद्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों के बीच शेयरधारक निदेशक के लिए चुनाव कराना आवश्यक है।

03 दिसंबर, 2025 को उत्पन्न होने वाली उक्त रिक्ति को भरने के उद्देश्य से, निदेशक मंडल ने 20 नवंबर, 2025

को होने वाली ईजीएम में केंद्र सरकार (शेयरधारक निदेशक) के अलावा अन्य शेयरधारकों में से एक निदेशक का चुनाव कराने का निर्णय लिया है।

इसलिए शेयरधारक (केंद्र सरकार के अलावा) प्रासंगिक अधिनियम, योजना, विनियमन, अधिसूचना और दिशानिर्देशों में विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार अपना नामांकन भेजने के हकदार हैं।

शेयरधारक निदेशक का चुनाव, प्रतियोगी शेयरधारकों द्वारा बैंक को प्रस्तुत नामांकनों की जाँच के बाद किया जाएगा और उनकी 'योग्यता' का निर्धारण बोर्ड की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) द्वारा किया जाएगा और उसके बाद ईजीएम में चुनाव होगा। इस प्रकार निर्वाचित शेयरधारक निदेशक, अपने चुनाव की तिथि के अगले दिन से पदभार ग्रहण करेंगे और तीन वर्ष की अवधि तक पद पर बने रहेंगे।

विधिक प्रावधान:

निम्नलिखित तालिका इस संबंध में लागू भारत सरकार के विभिन्न अधिनियमों/योजनाओं/विनियमों/अधिसूचनाओं/निर्देशों में निहित प्रावधानों को दर्शाती है:

अधिनियम/योजना/विनियम/ अधिसूचनाएं/निर्देश	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949	धारा 5 (एनई)	➤ पर्याप्त हित
	धारा 16 (1)	➤ समान निदेशकों की मनाही
	धारा 20	➤ अपने किसी भी निदेशक को या उसकी ओर से ऋण या अग्रिम देने पर प्रतिबंध
बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970	धारा 3 (2ई)	➤ मतदान के अधिकार पर प्रतिबंध
	धारा 9(3)(i)	➤ शेयरधारकों द्वारा चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या
	धारा 9 (3ए) (ए) से (सी)	➤ कुछ क्षेत्रों में विशेष ज्ञान
	धारा 9 (3एए) धारा 9(3एबी)	➤ कोई भी व्यक्ति निदेशक के तौर पर चुने जाने का पात्र नहीं होगा यदि उस व्यक्ति पास अपने टैक रिकार्ड, नैतिकता और भारतीय रिज़र्व बैंक जैसा निर्धारित करे उन मानदंडों के आधार पर सुयोग्य एवं समुचित स्टेटस नहीं है।
	धारा 9(3बी)	➤ भारतीय रिजर्व बैंक को ऐसे निर्वाचित निदेशक को हटाने का अधिकार है जो उक्त अधिनियम की धारा 9(3ए) और 9(3एए) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है।
	धारा 13(2)	➤ निष्ठा और गोपनीयता के संबंध में दायित्व
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970	खंड 9(4)	➤ निर्वाचित निदेशकों का कार्यकाल
	खंड 10	➤ बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने से अयोग्यताएं
	खंड 11	➤ निदेशक का पद रिक्त होना
	खंड 11ए	➤ निर्वाचित निदेशक को पद से हटाना
	खंड 11बी	➤ निर्वाचित निदेशक के पद पर आकस्मिक रिक्ति को भरना
	खंड 12(8)	➤ निदेशकों द्वारा कुछ व्यवस्थाओं में रुचि का प्रकटीकरण, जिनमें वे रुचि रखते हैं।
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर)	विनियमन 10	➤ संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग

और बैठकें) विनियम 2003 (2008 तक संशोधित)	विनियमन 61	> सामान्य बैठकों में मतदान
	विनियमन 63	> निदेशकों का चुनाव आम बैठकों में किया जाएगा
	विनियमन 64	> शेयरधारकों की सूची
	विनियमन 65	> चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन
	विनियमन 66	> नामांकनों की जांच
	विनियमन 67	> चुनाव विवाद
	विनियमन 68	> मताधिकार का निर्धारण
	विनियमन 69	> विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान
आरबीआई/डीबीआर/2019-20/71, मास्टर निर्देश डीबीआर/एपीपीटी संख्या: 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 2 अगस्त, 2019	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3AA) और धारा 9(3AB) के अनुसार	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड में निर्वाचित निदेशकों के लिए 'उपयुक्त एवं योग्य' मानदंड।
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 3 सितम्बर 2013 संदर्भ एफ. संख्या 16/83/2013-बीओ।। तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर-सरकारी निदेशक (एनओडी) के रूप में विचार के लिए केंद्र सरकार द्वारा 25 मार्च 2015 और 20 जुलाई 2016 को जारी मानदंड और उसके बाद किए गए संशोधन, यदि कोई हों		सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर-सरकारी निदेशक (एनओडी) के रूप में विचार के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड
आरबीआई मास्टर परिपत्र डीबी आर . सं. डीआईआर. बीसी. 10 / 13.03.00 / 2015-16 दिनांक 1 जुलाई, 2015 और उसके बाद के संशोधन, यदि कोई हों		निदेशकों के रिश्तेदारों को ऋण और अग्रिम राशि प्रदान करना
आरबीआई अधिसूचना डीबीआर. अपार्टमेन्ट बीसी. संख्या 39/29.39.001/2016-17 दिनांक 24 नवंबर, 2016		बैंकिंग कंपनियों के लिए उपयोगी विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव
सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015		स्वतंत्र निदेशक और उनकी नियुक्ति से संबंधित प्रावधान

शेयरधारकों की सुविधा के लिए, अधिनियम, विनियमन अधिनियम, योजना, विनियम, लिस्टिंग विनियमों के साथ-साथ आरबीआई अधिसूचना संख्या आरबीआई/डीबीआर/2019-20/71, आरबीआई मास्टर निर्देश डीबीआर/एपीपीटी संख्या: 9/29.67.001/2019-20 दिनांकित 2 अगस्त, 2019, भारत सरकार के दिशानिर्देश दिनांकित 25 मार्च 2015 और 20 जुलाई, 2016 से संबंधित उद्धरण, भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना

डीबीआर/एपीपीटी संख्या .39/29.39.001/2016-17 दिनांकित 24 नवंबर, , बैंक की वेबसाइट www.iob.bank.in पर उपलब्ध होगी । इच्छुक उम्मीदवारों को उप महा प्रबंधक, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, निवेशक संबंध कक्ष, केंद्रीय कार्यालय, 763, अण्णा सालै , चेन्नै - 600 002 को नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि अर्थात् मंगलवार, 04 नवम्बर , 2025 05:00 p.m. तक या उससे पहले अनुरोध प्राप्त होने पर ये उद्धरण ई-मेल द्वारा भी भेजे जाएँगे।

चुनाव और मतदान में भागीदारी:

ऐसे शेयरधारक जिनके नाम निर्दिष्ट तिथि/अंतिम तिथि अर्थात् शुक्रवार, 17 अक्टूबर, 2025 को एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा प्रस्तुत शेयरधारकों/लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में दिखाई देते हैं, वे केंद्र सरकार के अलावा शेयरधारकों में से एक निदेशक के चुनाव में भाग लेने अर्थात् नामांकन करने, चुनाव लड़ने के हकदार होंगे । तथापि, यह ध्यान देने योग्य बात है कि केन्द्र सरकार निदेशक के चुनाव में भाग लेने की हकदार नहीं है, लेकिन पर्यवेक्षक के रूप में ईजीएम में भाग ले सकती है।

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) विनियम, 2014 के विनियम 20 के अनुसार, जिन सदस्यों के नाम अंतिम तिथि अर्थात् 13 नवंबर 2025 को सदस्यों/लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में दिखाई देते हैं, वे रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से या ईजीएम में अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करने के हकदार होंगे, बशर्ते कि उन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट न डाला हो।

बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए आवश्यक योग्यताएं:

अधिनियम की धारा 9 (3ए) के अनुसार, एक उम्मीदवार, जो बैंक का शेयरधारक है और जो अधिनियम की धारा 9(3)(i) के तहत बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने की इच्छा रखता है,

ए) निम्नलिखित में से एक या अधिक मामलों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो, अर्थात् :-

- कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था
- बैंकिंग
- सहयोग
- अर्थशास्त्र
- वित्त
- कानून
- लघु उद्योग
- कोई अन्य मामला जिसका विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव भारतीय रिजर्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी होगा।

ए) जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करता है; या

बी) किसानों, श्रमिकों और कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है

आरबीआई ने 24 नवंबर, 2016 के अपने परिपत्र संख्या डीबीआर.एए.बीसी.सं.39/29.39.001/2016-17 के माध्यम से विशेषज्ञता के क्षेत्रों का विस्तार करते हुए निम्नलिखित को शामिल किया है:

1. सूचान प्रौद्योगिकी
2. भुगतान और निपटान प्रणालियाँ

3. मानव संसाधन
4. जोखिम प्रबंधन और
5. व्यवसाय प्रबंधन.

अधिनियम की धारा 9(उएए) और आरबीआई अधिसूचनाओं के अनुसार, बैंक का शेयरधारक होने के नाते यदि कोई उम्मीदवार बैंक का निदेशक बनना चाहता है तो उसके पास सुयोग्य एवं समुचित' स्टेटस होना चाहिए।

इसके अलावा निर्वाचित निदेशक को एक संविदा विलेख निष्पादित करना होगा तथा इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वार्षिक घोषणाएं प्रस्तुत करनी होंगी ।

बैंक के निदेशक के तौर पर नहीं चुने जाने संबंधी अयोग्यताएँ

योजना के उपबंध 10 के अनुसार, कोई व्यक्ति बैंक के निदेशक के तौर पर नियुक्ति या उसके लिए अपात्र करार किया जाएगा:

- यदि उसे किसी भी समय दिवालिया घोषित किया गया हो या उसने भुगतान निलंबित कर दिया हो या अपने लेनदारों के साथ समझौता कर लिया हो; या
- यदि वह विकृतचित्त पाया गया है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है; या
- यदि उसे आपराधिक न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है जिसमें नैतिक अधमता शामिल है; या
- यदि वह भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत गठित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में परिभाषित किसी सहायक बैंक के अधीन लाभ का कोई पद धारण करता है, तो बैंक के कर्मचारियों में से अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ई) और (एफ) के अंतर्गत नामित प्रबंध निदेशक और निदेशकों सहित पूर्णकालिक निदेशक के पद को छोड़कर, और

बी) यदि वह आरबीआई अधिसूचना संख्या आरबीआई/डीबीआर/2019-20/71, मास्टर निर्देश डीबीआर/एपीपीटी संख्या: 9/29.67.001/2019-20 दिनांकित 2 अगस्त, 2019 के अनुसार बैंक के बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर-सरकारी निदेशक के रूप में विचार के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार सुयोग्य व समुचित व्यक्ति नहीं पाया जाता है।

शेयरधारकों की सूची

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2003 (2008 तक संशोधित) के विनियम 64 के अनुसार, शेयरधारकों की सूची की एक प्रति (इलेक्ट्रॉनिक रूप में - निर्दिष्ट तिथि अर्थात् 17 अक्टूबर, 2025 तक) मुख्य वित्तीय अधिकारी, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, निवेशक संबंध कक्ष, 763, अण्णा सालै, चेन्नै से बैंक के केंद्रीय कार्यालय में **सोमवार, 20 अक्टूबर, 2025 से उपलब्ध होगी** । इसे शेयरधारकों द्वारा "इण्डियन ओवरसीज़ बैंक" के पक्ष में चेन्नै में देय डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर द्वारा रु. 50,000/- (केवल पचास हजार रुपये) + लागू कर का भुगतान करके खरीदा जा सकता है। उक्त सूची खरीदने के इच्छुक उम्मीदवारों को एक वचनबद्धता देनी होगी कि सूची का उपयोग चुनाव प्रचार में किया जाएगा और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाएगा।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2003 (2008 तक संशोधित) के विनियम 11 के अनुसार , शेयरधारकों का रजिस्टर बैंक के केंद्रीय कार्यालय, 763, अण्णा सालै , चेन्नै 600 002 में सभी कार्य दिवसों (दूसरे और चौथे शनिवार, रविवार और बैंक अवकाशों को छोड़कर) अर्थात् सोमवार से शुक्रवार और पहले और तीसरे शनिवार को सुबह 11:00 बजे से शाम 4:00 बजे के बीच निरीक्षण के लिए खुला रहेगा ताकि प्रतियोगी शेयरधारकों के रजिस्टर से किसी भी भाग का अंश ले सकें। जो शेयरधारक रजिस्टर का निरीक्षण करने के इच्छुक हैं, उन्हें निरीक्षण के दिन से कम से कम एक कार्य दिवस पहले investor@iobnet.co.in और 044-71729791 पर बैंक के कंपनी सचिव को सूचित करना होगा।

यदि किसी शेयरधारक को चयनित/आंशिक जानकारी की प्रति या कंप्यूटर प्रिंट की आवश्यकता है, तो शेयरधारक ₹.5/- प्रति 1,000 शब्द और उसके अंश की दर पर प्राप्त कर सकते हैं, जो अधिकतम ₹.50,000/- (पूर्ण शेयरधारक सूची सहित) तक सीमित होगा।

उम्मीदवारों का नामांकन चुनाव के लिए

विनियम 65 के अनुसार और भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचनाओं RBI/DBR/2019-20/71, मास्टर निर्देश DBR/APPT No.: 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 2 अगस्त, 2019 और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग द्वारा संदर्भ संख्या F No. 16/83/2013-BO.I के तहत दिनांक 3 सितंबर, 2013 के पत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर-आधिकारिक निदेशक के रूप में विचार के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड जो 25 मार्च, 2015 और 20 जुलाई, 2016 को जारी किए गए (भारत सरकार दिशानिर्देश) और विभिन्न अधिनियमों के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, निदेशक के रूप में चुनाव के लिए किसी उम्मीदवार का नामांकन वैध माना जाएगा बशर्ते कि:

ए) वह बैंक का ऐसा शेयरधारक/ऐसी शेयरधारक हो जो शुक्रवार, 17 अक्टूबर, 2025 को, जो चुनाव में भागीदारी के लिए निर्धारित/कट-ऑफ तिथि है, बैंक के कम से कम 100 (एक सौ) शेयर धारण करता/करती हो तथा बैठक की तिथि तक और उसके बाद, यदि वह निर्वाचित होता/होती है, तो अपने कार्यकाल की समाप्ति तक न्यूनतम 100 शेयर धारण करना जारी रखे।

बी) मंगलवार, 04 नवम्बर, 2025 को, जो नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि है, उस दिन वह व्यक्ति बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, या बैंकिंग कंपनियाँ (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम, 1970, या राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध उपबंध) योजना, 1970, या इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2003 के अंतर्गत निदेशक होने से अपात्र नहीं हो, तथा तत्पश्चात बैंक के निदेशक मंडल द्वारा उसे भारतीय रिज़र्व बैंक की मास्टर डायरेक्शन्स - 'फिट एंड प्रॉपर' क्राइटरिया फॉर इलेक्टेड डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड्स ऑफ पीएसबीज़ दिनांक 2 अगस्त, 2019 के प्रावधानों के अनुसार, तथा भारत सरकार द्वारा 25 मार्च, 2015 एवं 8 जुलाई, 2016 को जारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गैर-सरकारी निदेशकों एवं सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति से संबंधित दिशा-निर्देशों के साथ पढ़े जाने पर "फिट एंड प्रॉपर" पाया गया हो, अथवा समय-समय पर निदेशक के रूप में निर्वाचित होने हेतु जारी किए जाने वाले ऐसे अन्य निर्देशों के अनुरूप योग्य पाया गया हो।

सी) वैध नामांकन लिखित रूप में होना चाहिए, जिस पर अधिनियम के अंतर्गत निदेशकों का चुनाव करने के अधिकार वाले कम से कम एक सौ (100) शेयरधारकों या उनके विधिवत अधिकृत अभिकर्ता के हस्ताक्षर हों। यह भी प्रावधान है कि यदि नामांकन किसी कंपनी के शेयरधारक द्वारा किया गया है, तो ऐसा नामांकन उस कंपनी के निदेशक मंडल के प्रस्ताव द्वारा किया जा सकता है, और जहाँ ऐसा किया गया हो, वहाँ उस प्रस्ताव की सत्य प्रति, जिस बैठक में वह पारित हुआ था, उसके अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित की गई प्रति बैंक के केंद्रीय कार्यालय को संबोधित करते हुए निम्नलिखित पते पर प्रेषित की जाएगी। उप महा प्रबंधक व मुख्य वित्तीय अधिकारी, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, निवेशक संबंध कक्ष, तुलन पत्र प्रबंधन विभाग, केंद्रीय कार्यालय, 763, अण्णा सालै, चेन्नै - 600 002 ऐसी प्रति को उस कंपनी की ओर से किए गए नामांकन के रूप में वैध एवं मान्य माना जाएगा।

डी) वैध नामांकन के साथ एक घोषणा-पत्र संलग्न होना आवश्यक है, जिस पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर न्यायाधीश, दंडाधिकारी, आश्वासन के पंजीयक या उप-पंजीयक, अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी, या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष किए गए हों। इस घोषणा में यह उल्लेख होना चाहिए कि उम्मीदवार नामांकन स्वीकार करता/करती है और चुनाव में भाग लेने के लिए सहमत है तथा वह अधिनियम, योजना, विनियम / आरबीआई अधिसूचना या भारत सरकार के लागू दिशा-निर्देशों के अंतर्गत निदेशक बनने से अपात्र नहीं है। इसके साथ उम्मीदवार को अपने व्यक्तिगत विवरण (बायोडाटा) संलग्न करने होंगे, जिन पर उसके हस्ताक्षर हों और यह सत्यापन दिया गया हो कि प्रस्तुत विवरण उसकी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं। साथ ही, उम्मीदवार द्वारा यह प्रतिज्ञा भी दी जानी चाहिए कि घोषणा के पश्चात् ऐसी कोई घटना घटित होने पर, जो उक्त जानकारी से संबंधित हो, वह यथाशीघ्र बैंक को पूर्ण रूप से सूचित करेगा/करेगी।

ई) नामांकन प्रपत्र एवं घोषणा प्रपत्र का प्रारूप इस सूचना के साथ संलग्न है (यह बैंक की वेबसाइट www.iob.bank.in पर भी उपलब्ध है)।

नामांकन प्रपत्रों का प्रस्तुतिकरण

वे शेयरधारक, जो केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त शेयरधारकों में से बैंक के निदेशकों के चुनाव में भाग लेना चाहते हैं, उन्हें अधिसूचना के साथ संलग्न प्रारूपों में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:

(ए) विधिवत भरा हुआ घोषणा प्रपत्र।

(बी) चुनाव में भाग लेने के अधिकार वाले कम से कम एक सौ शेयरधारकों द्वारा किया गया नामांकन।

(सी) व्यक्तिगत जानकारी, घोषणा और प्रतिज्ञा के साथ संबंधित दस्तावेज एवं प्रमाण-पत्र, जैसे कि बायोडाटा, शैक्षिक योग्यताओं का प्रमाणपत्र, अनुभव आदि की स्व-प्रमाणित प्रतियाँ, एक सील किए हुए लिफ़ाफे में निम्नलिखित पते पर किसी भी कार्यादिवस पर, असाधारण आम बैठक के लिए निर्धारित तिथि से कम से कम चौदह दिन पूर्व, अर्थात् मंगलवार, **04 नवम्बर, 2025** को सायं 5:00 बजे तक, जमा करनी होंगी। उप महा प्रबंधक, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, निवेशक संबंध कक्ष, तुलन पत्र प्रबंधन विभाग, केंद्रीय कार्यालय, 763, अण्णा सालै, चेन्नै - 600 002

(डी) उक्त नामांकन प्रपत्र एवं अन्य दस्तावेज पूर्ण रूप से भरे हुए होने चाहिए; यदि ऐसा नहीं होगा तो नामांकन को अस्वीकृत किया जा सकता है।

कृपया ध्यान दें कि यदि नामांकन प्रपत्र स्पीड पोस्ट / रजिस्टर्ड पोस्ट / कूरियर के माध्यम से भेजे गए हैं या हाथ से जमा किए गए हैं लेकिन निवेशक संबंध प्रक्रोष्ट के किसी अधिकारी से प्राप्ति का प्रमाण नहीं लिया गया है, तो बैंक प्रपत्र के समय पर न पहुँचने या विलंब से प्राप्त होने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

नामांकनों की जाँच और निदेशकों के चुनाव:

ए) विनियम 66 के अंतर्गत, नामांकनों की जाँच बुधवार, 05 नवम्बर, 2025 को की जाएगी, जो नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद पहला कार्यादिवस है, और यदि किसी नामांकन को वैध नहीं पाया गया, तो उसे कारणों को दर्ज करने के बाद अस्वीकार कर दिया जाएगा।

बी) वैध नामांकनों को आरबीआई अधिसूचनाओं / भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा भी जाँच के दायरे में लाया जाएगा। चूंकि आरबीआई अधिसूचना और भारत सरकार के दिशा-निर्देश समान प्रकृति के प्रतिबंध लगाते हैं, बैंक उम्मीदवारों की फिट और प्रॉपर स्थिति निर्धारित करते समय इन दोनों में से कठोरतम का पालन कर सकता है।

सी) बैंक, बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा जाँच के समय, उम्मीदवारों से उनके नामांकन के समर्थन में अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज मांग सकता है।

डी) जाँच के पश्चात् यदि चुनाव द्वारा भरे जाने वाले एक पद के लिए केवल एक ही वैध नामांकन पाया जाता है, और वह उम्मीदवार फिट और प्रॉपर पाया जाता है, तो उसे तत्क्षण निर्वाचित माना जाएगा और उसका नाम एवं पता इस रूप में प्रकाशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में कोई चुनाव नहीं होगा और ईंजीएम में एजेंडा आइटम संख्या 1 पर विचार नहीं किया जाएगा। नव निर्वाचित निदेशक उस तिथि से पद ग्रहण करेगा जो तुरंत उसके निर्वाचित माने जाने के दिन के बाद की होगी।

ऐसी स्थिति में, चूंकि ईजीएम केवल एक शेयरधारक निदेशक के चुनाव के उद्देश्य से बुलायी गई थी, इसलिए वह ईजीएम रद्द मानी जाएगी।

ई) यदि एक से अधिक वैध नामांकन हैं, तो चुनाव आयोजित किया जाएगा, और चुनाव में अधिकतम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को निर्वाचित माना जाएगा। उनके नाम अखबारों और बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएंगे और यह जानकारी स्टॉक एक्सचेंजों को भी दी जाएगी।

नामांकनों की वापसी :

यदि एक से अधिक वैध उम्मीदवार हैं और किसी उम्मीदवार को अपना नामांकन वापस लेना हो, तो वह ऐसा कर सकता/सकती है। इसके लिए उसे हस्ताक्षरित पत्र की स्कैन की हुई प्रति निम्नलिखित पते पर ईमेल द्वारा भेजनी होगी: उप महा प्रबंधक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, निवेशक संबंध कक्ष, तुलन पत्र प्रबंधन विभाग, केंद्रीय कार्यालय, 763, अण्णा सालै, चेन्नै – 600 002 ईमेल: investor@iobnet.co.in यह कार्य शनिवार, 15 नवम्बर, 2025 को शाम 5:00 बजे तक या उससे पूर्व किया जाना आवश्यक है।

वोटिंग के परिणाम :

बैंक ने श्री आर. श्रीधरन, मेसर्स आर. श्रीधरन एंड एसोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरीज (FCS: 4775 और CP No. 3239) को स्कूटिनाइज़र के रूप में नियुक्त किया है, जो रिमोट ई-वोटिंग और ईजीएम में ई-वोटिंग के संचालन को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित करेंगे।

स्कूटिनाइज़र, ईजीएम के समापन के दो कार्यदिवसों के भीतर कुल मतों (रिमोट ई-वोटिंग और बैठक में ई-वोटिंग) का संयुक्त स्कूटिनाइज़र रिपोर्ट बैठक के अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा। तत्पश्चात, बैंक वोटिंग के परिणाम तुरंत घोषित करेगा और स्कूटिनाइज़र की रिपोर्ट के साथ परिणामों को स्टॉक एक्सचेंजों, ई-वोटिंग एजेंसी और बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

विवाद समाधान:

यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसे इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2003 के विनियम 67 के अनुसार निपटाया जाएगा।

निदेशक को हटाना :

शेयरधारकों का ध्यान बैंकिंग कंपनियाँ (अधिग्रहण और उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3B) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक के उस अधिकार का उल्लेख है कि वह उस निदेशक को हटाने का अधिकार रखता है, जो उक्त अधिनियम की धारा 9(3)(i) के तहत निर्वाचित किया गया हो और धारा 9(3A) की आवश्यकताओं को पूरा न करता हो।

निदेशकों के हित :

यदि बैंक के निदेशक चुनाव में भाग लेने का निर्णय लेते हैं, तो उन्हें उक्त व्यावसायिक विषय में संबंधित या रुचि रखने वाला माना जा सकता है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

स्थान : चेन्नै

दिनांक : 18 अक्टूबर 2025

हस्ता/-
(अजय कुमार श्रीवास्तव)
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

नामांकन प्रपत्र
(आइओबी विनियमों के विनियम 65 का संदर्भ लें)

प्रति

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
 इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
 केंद्रीय कार्यालय,
 चेन्नै – 600 002

प्रिय महोदय,

निदेशकों का निर्वाचन

आपके ईजीएम नोटिस दिनांक के संदर्भ में, मैं श्री / श्रीमती , इण्डियन ओवरसीज़ बैंक का एक शेयरधारक, जो इकिटी शेयरों के धारक हैं, प्रत्येक ₹10/- के, दिनांक यानी चुनाव में भाग लेने के लिए निर्धारित/कट-ऑफ तिथि के अनुसार, द्वारा यहाँ नामांकित करता/करती हूँः

श्री/श्रीमती , पुत्र / पुत्री / पत्नी , निवासी को इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित किए जाने के लिए, जो बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करेंगे, जैसा कि बैंकिंग कंपनियाँ (अधिग्रहण और उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) में प्रदत्त है, ईजीएम में आयोजित शेयरधारकों की बैठक में, जो को आयोजित की जाएगी।

नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो संख्या (यदि डिमैट में नहीं है)	
डीपी आईडी संख्या और क्लाइंट आईडी संख्या (यदि डिमैट में हो)	
स्थान	
दिनांक	

नोटः

ए) यदि नामांकन किसी बॉडी कॉर्पोरेट द्वारा किया गया है, तो नामांकन प्रपत्र के साथ उस कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा पारित प्रस्ताव की सत्यापित प्रति संलग्न होनी चाहिए, जिस पर उस बैठक के अध्यक्ष के हस्ताक्षर हों जिसमें यह प्रस्ताव पारित किया गया था।

बी) उम्मीदवार का नामांकन करने वाले शेयरधारकों के हस्ताक्षर बैंक के शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर से मेल खाने चाहिए।

सी) यदि उपरोक्त किसी भी कॉलम को खाली छोड़ा गया है या विवरण गलत पाया जाता है, तो नामांकन अस्वीकार किया जा सकता है।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
केंद्रीय कार्यालय: 763, अण्णा सालै, चेन्नै – 600 002
घोषणा
(अभ्यर्थी द्वारा)
(आइओबी विनियमों के विनियम 65 का संदर्भ)

मैं एतद्वारा पुष्ट करता/ती हूँ कि मैं पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री / श्रीमती
..... का निवासी हूँ :

ए) मैं बैंक का शेयरधारक हूँ और मेरे पास इकिटी शेयर हैं, फोलियो संख्या _____/ डीपी आईडी संख्या
_____ / क्लाइंट संख्या _____ के अंतर्गत, दिनांक यानी चुनाव में भाग लेने के लिए
निर्धारित/कट-ऑफ तिथि के अनुसार, और मैं यह प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि यदि मुझे बैंक का निदेशक निर्वाचित किया
जाता है तो मैं कार्यकाल की समाप्ति तक ये शेयर धारण करता/करती रहूँगा।

बी) मुझे (i) कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, (ii) बैंकिंग, (iii) सहकारिता, (iv) अर्थशास्त्र, (v) वित्त, (vi) विधि, (vii) लघु उद्योग
या सूचना प्रौद्योगिकी, भुगतान और निपटान प्रणाली, मानव संसाधन, जोखिम प्रबंधन, व्यवसाय प्रबंधन (जिनमें से रिज़र्व बैंक
की राय में बैंक के लिए उपयोगी विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव हो) में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है और/या मैं
जमाकर्ताओं या किसानों, श्रमिकों और शिल्पकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करता/करती हूँ, जैसा कि अधिनियम की धारा 9
की उप-धारा 3A में वर्णित है। इसके प्रमाणस्वरूप, मैं संबंधित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता/करती हूँ। (जो लागू न हो, उसे हटा
दें)

सी) मैं नामांकन संख्या ----- से ----- तक को स्वीकार करता हूँ और

डी) मैं इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के निदेशकों के चुनाव में भाग लेना चाहता हूँ और

ई) मैं बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, बैंकिंग कंपनियाँ (अधिग्रहण और उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम, 1970,
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध उपबंध) योजना, 1970, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2003
(संशोधित 2008 तक) तथा आरबीआई द्वारा जारी अधिसूचना और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गैर-सरकारी निदेशकों के
संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अंतर्गत बैंक का निदेशक बनने से अपात्र नहीं हूँ।

एफ) मैं न तो किसी लाभकारी पद पर कार्यरत हूँ और न ही मैं किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय राज्य बैंक अधिनियम, 1955
की धारा 3(1) के तहत स्थापित भारतीय स्टेट बैंक या 1959 के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (सहायक बैंक) अधिनियम की धारा 3
में परिभाषित किसी सहायक बैंक का कर्मचारी हूँ।

जी) मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के अंतर्गत अपात्र नहीं हूँ।

मैं आगे यह घोषणा करता/करती हूँ कि:

एच) मुझे कभी भी दिवालिया घोषित नहीं किया गया है, न ही मैंने भुगतान स्थगित किया है, न ही ऋणदाताओं के साथ
समझौता किया है; और

आई) मुझे कभी भी अविवेकी नहीं पाया गया और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित नहीं किया गया है, न ही मुझे किसी
सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है, और न ही मुझे किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है जिसमें नैतिक भ्रष्टा
शामिल हो; और

जे) मुझे किसी आर्थिक अधिकारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा घोषित अपराधी नहीं
घोषित किया गया है; और

के) मैं अपने निदेशक कार्यकाल के दौरान और उसके पश्चात दो वर्षों की अवधि के लिए बैंक के साथ कोई पेशेवर संबंध नहीं
रखूँगा / रखूँगी।

एल) मैं किसी भी बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, किसी वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनी या किसी एनओएफएचसी के अधीन किसी अन्य बैंक के बोर्ड का सदस्य नहीं हूँ।

एम) मैं हायर पर्चेज, फाइनेंसिंग, मनी लॉंडिंग, निवेश, लीजिंग और अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों से जुड़ा नहीं हूँ।

एन) मैंने किसी भी बैंक/एफआई/आरबीआई/बीमा कंपनी के बोर्ड में किसी भी श्रेणी में छह वर्षों तक निदेशक के रूप में सेवा नहीं दी है, चाहे वह लगातार हो या समय-समय पर।

ओ) मैं स्टॉक ब्रोकिंग के व्यवसाय में संलग्न नहीं हूँ।

पी) मैं संसद, राज्य विधायिका, नगर निगम, नगरपालिका या अन्य स्थानीय निकायों का सदस्य नहीं हूँ (अन्य स्थानीय निकायों में नोटिफाइड एरिया काउंसिल, सिटी काउंसिल, पंचायत, ग्राम सभा, जिला परिषद आदि शामिल हैं)।

क्यू) मैं किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म का भागीदार नहीं हूँ, जो वर्तमान में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक के रूप में कार्यरत हो।

आर) मैं किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म का भागीदार नहीं हूँ, जो वर्तमान में इण्डियन ओवरसीज़ बैंक का सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक या समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में कार्यरत हो, जिसमें नामांकन प्रस्तुत किया गया है।

एस) मेरा इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के साथ कोई व्यवसायिक संबंध (कानूनी सेवाएँ, परामर्श सेवाएँ आदि सहित) नहीं है और मैं ऐसी गतिविधियों में संलग्न नहीं हूँ जो बैंक के व्यवसायिक हितों के साथ टकराव उत्पन्न कर सकती हों।

टी) मेरा किसी बैंक या किसी एनओएफएचसी के अधीन किसी अन्य बैंक के साथ कोई पेशेवर संबंध नहीं है, और यदि निर्वाचित होता/होती हूँ तो निदेशक पद ग्रहण करने से पहले बैंक के साथ किसी भी पूर्व संबंध को समाप्त करने का संकल्प लेता/लेती हूँ।

यू) मैं किसी भी नियामक या पर्यवेक्षकीय प्राधिकरण/एजेंसी, या कानून प्रवर्तन एजेंसी के तहत कोई नकारात्मक नोटिस में नहीं हूँ, और किसी भी ऋणदाता संस्था का डिफॉल्टर नहीं हूँ।

वी) मैं निदेशक पद ग्रहण करने से पहले प्रसंविदा विलेख (आरबीआई मास्टर डायरेक्शन्स दिनांक 02.08.2019 के निर्दिष्ट प्रारूप में) निष्पादित करने का संकल्प लेता/लेती हूँ।

डबल्यू) मैं बैंक को तपतरता से सूचित रखने का संकल्प लेता/लेती हूँ कि इस घोषणा के पश्चात ऐसी कोई घटना घटित होती है जो प्रस्तुत जानकारी से संबंधित हो, और प्रसंविदा विलेख निष्पादित करने का भी संकल्प लेता/लेती हूँ।

एक्स) यदि निर्वाचित होता/होती हूँ तो मैं सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के प्रासंगिक प्रावधानों का पालन करूँगा/करूँगी, जैसे संशोधन किए गए हों, जब तक मैं बैंक के निदेशक पद पर हूँ।

वाई) मैं किसी अन्य बैंक, वित्तीय संस्था, आरबीआई या बीमा कंपनी में पिछले किसी भी श्रेणी में दो कार्यकाल या छह वर्ष, जो भी लंबा हो, तक निदेशक नहीं रहा हूँ, चाहे लगातार हो या समय-समय पर।

जेड) यदि निर्वाचित होता/होती हूँ तो मैं तुरंत बैंक के साथ किसी भी पेशेवर संबंध को समाप्त करूँगा/करूँगी और अपने निदेशक कार्यकाल के दौरान तथा उसके पश्चात दो वर्षों की अवधि के लिए बैंक के साथ कोई पेशेवर संबंध नहीं रखूँगा/रखूँगी।

एए) मैं अन्य कंपनियों/बैंकों में अपने पूर्ववर्ती निदेशकत्व और अपने वर्तमान निदेशकत्व के विवरण निम्नवत प्रस्तुत करता हूँ :

कंपनी, बैंक आदि का नाम	निदेशकत्व के विवरण यथा अवधि, कार्यकाल आदि

बीबी. मैं निजी सूचना, घोषणा और वचन प्रपत्र में अपने व्यक्तिगत विवरण संलग्न करता हूँ, जो मेरे संज्ञान और विश्वास के अनुसार सभी दृष्टि से सही और पूर्ण हैं।

नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत पृष्ठ संख्या/ डीपी आइडी संख्या और क्लाइंट आइडी संख्या	
स्थान	
दिनांक	

उक्त घोषणा पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए थे ।

मुहर सहित हस्ताक्षर
सत्यापनकर्ता अधिकारी का नाम

इस घोषणा पर किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, बीमा के रजिस्टर अथवा उप रजिस्ट्रर, या अन्य किसी राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा इण्डियन ओवरसीज़ बैंक या अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी अधिकारी के सम्मुख नामिती द्वारा हस्ताक्षर किये जाने चाहिए ।

व्यक्तिगत सूचना, घोषणा एवं वचनपत्र
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

यहाँ अपना
स्वसत्यापित
पासपोर्ट साइज़
फोटो चिपकाएँ

-----2025 को वस्तुस्थिति के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा घोषणा व वचनपत्र

I.	अभ्यर्थी का व्यक्तिगत विवरण	
ए.	पूरा नाम (बड़े अक्षरों में)	
बी.	पिता / पति का नाम (पूर्ण)	
सी.	जन्म तिथि	
डी.	लिंग	
ई.	शैक्षिक योग्यताएँ (सूचना के समर्थन में कृपया प्रमाणपत्रों की स्वसत्यापित प्रति संलग्न करें)	
एफ.	व्यावसायिक योग्यताएँ (सूचना के समर्थन में कृपया प्रमाणपत्रों की स्वसत्यापित प्रति संलग्न करें)	
जी.	स्थायी पता	
एच.	वर्तमान पता	
आई.	ई-मेल पता टेलीफोन नंबर (लैंडलाइन) टेलीफोन नंबर (मोबाइल)	
जे.	राष्ट्रीयता	
एच.	निदेशक पहचान क्रमांक	
आई.	आधार संख्या	
जे.	1. स्थायी खाता संख्या (पैन)(आयकर अधिनियम के तहत) (कृपया प्रीति संलग्न करें) 2. आयकर सर्किल / खण्ड का नाम और पता जिसके यहाँ व्यक्तिगत कर रिटर्न जमा कर रहे हैं 3. जमा किए विगत 3 तीन वर्षों के आईटीआर जमा किए गए करों का विवरण	
के.	नामतः लेखा, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, वित्त, कानून, लघु उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी जैसे किसी एक या अधिक मामलों के संबंध में प्रासंगिक	

	ज्ञान या अनुभव, भुगतान और निपटान प्रणाली, मानव संसाधन, जोखिम प्रबंधन, व्यवसाय प्रबंधन या किसी अन्य मामले का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव जोकि रिज़र्व बैंक की राय में बैंकिंग कंपनी के लिए उपयोगी होगा, संक्षिप्त विवरण के रूप में लिखें।									
एल.	वर्तमान व्यवसाय (पदनाम, संगठन का नाम एवं अनुभव पर संक्षिप्त लेखन)									
एम.	पिछले व्यवसाय/पदों का विवरण, कम से कम पिछले दस वर्षों के लिए, जिसमें कार्यरत संगठन(ओं) का पूरा पता, जॉइनिंग तिथि, मुक्त होने की तिथि (कारण सहित), पदनाम, आदि शामिल हों।									
एन.	यदि उम्मीदवार चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो निम्नलिखित जानकारी दें: (ए) ईडियन इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (ICAI) का मेंबरशिप नंबर: (बी) ICAI में पंजीकरण की तिथि: (सी) पंजीकृत फर्म/फर्मों का नाम और पता: (डी) वर्तमान में फर्म/आप द्वारा किए जा रहे ऑडिट का विवरण:									
ओ.	आपके नाम पर प्राथमिक खाता धारक के रूप में निम्नलिखित विवरण दें: बैंक का नाम, शाखा और खाता संख्या (बचत/चालू/ऋण खाते)	<table border="1"> <tr> <td>बैंक का नाम</td> <td>शाखा</td> <td>खाते का प्रकार</td> <td>खाता संख्या</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	बैंक का नाम	शाखा	खाते का प्रकार	खाता संख्या				
बैंक का नाम	शाखा	खाते का प्रकार	खाता संख्या							
पी.	यदि आपके, आपके पति/पत्नी या आपके नाबालिंग बच्चे के पास किसी भी संस्था में शेयरधारिता है, तो उसका विवरण दें, चाहे वह भौतिक या डिमैट रूप में हो। (साथ में डिमैट/शेयरधारिता प्रमाणपत्र संलग्न करें)									
क्यू.	बैंक के निदेशक पद से संबंधित कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी									
॥	अभ्यार्थी के प्रासंगिक संबंध									
ए.	बैंक से जुड़े संबंधियों की सूची (यदि कोई हो) (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77) के संदर्भ में, कंपनी (परिभाषाओं का विवरण) नियम, 2014 के नियम 4 के साथ पढ़ें)									
बी.	वे संस्थाएँ जिनमें उम्मीदवार का संबंध हो: (ए) हित में [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 देखें] (बी) लाभकारी स्वामित्व [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 89 एवं एमसीए के प्रासंगिक									

	लाभकारी स्वामित्व नियम के अनुसार] (सी) ट्रस्टी (किसी ट्रस्ट से संबंधित अन्य किसी भी संबंध का उल्लेख करें)	
सी.	<p>वे संस्थाएँ जिनमें वह / वह " अपना हित " रखता/रखती है, जैसा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5(एन-ई) के अर्थ में, प्रस्तावित और वर्तमान में:</p> <p>" अपना हित " का अर्थ है:</p> <p>(i) किसी कंपनी के संबंध में – किसी व्यक्ति, उसके पति/पत्नी या नाबालिंग बच्चे द्वारा, चाहे अकेले या संयुक्त रूप से, ऐसे शेयरों में लाभकारी हित का होना, जिनका भुगतान राशि ₹2 करोड़ से अधिक हो या कंपनी की पूँजी का 10%, जो भी कम हो।</p> <p>(ii) किसी फर्म के संबंध में – किसी व्यक्ति, उसके पति/पत्नी या नाबालिंग बच्चे द्वारा, चाहे अकेले या संयुक्त रूप से, फर्म में लाभकारी हित का होना, जो फर्म के सभी भागीदारों द्वारा जमा कुल पूँजी का 10% से अधिक हो।</p>	<p>कंपनी/ फार्म का नाम</p> <p>निकायों का देश</p> <p>शेयरों की संख्या</p> <p>प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य</p> <p>धारित कुल शेयरों का अंकित मूल्य</p> <p>कुल प्रदत्त पूँजी की शेयर धारिता प्रतिशत</p> <p>हिताधकारी लाभ (मूल्य के साथ साथ % के साथ)</p> <p>क्या कंपनी, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत आती है ?</p>
डी.	विदेश में निर्गमित इकाइयां जिनके कारोबार का स्थान भारत में नहीं है, उनमें धारिता के विवरण	
ई.	बैंक/ एनबीएफसी/ अन्य कोई कंपनी जिसमें वर्तमान अथवा पूर्व में बोर्ड सदस्य/ सलाहकार रहे हों (अवधि का विवरण दें जिसमें संबंधित कार्यालय में सम्बद्ध हैं/ थे ।)	
एफ.	यदि किसी भी संस्था के साथ किराया खरीद, वित्तपोषण, निवेश, पट्टे और अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियां में सम्बद्ध (संबद्धता की प्रकृति अंकित करें) थे तो, वर्णित करें ।	
जी.	यदि स्टॉक ब्रोकर अथवा शेयर ब्रोकिंग की गतिविधि में सम्बद्ध हैं तो विवरण प्रस्तुत करें ।	
एच.	बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 5(एनई) के अर्थ में कंपनियों की सूची जिनसे उम्मीदवार का भरपूर अधिकृत संबंध होना जाना जाता है ।	
आई.	उम्मीदवार या उपर्युक्त ॥(बी)॥(सी) में सूचित किसी भी संस्थाओं द्वारा बैंक से वर्तमान में ली गई निधि या गैर-निधि आधारित सुविधाएँ, यदि कोई हो	
जे.	ऐसे मामले, यदि कोई हों, जिनमें उपर्युक्त ॥(बी) व (सी) में सूचीबद्ध बैंक अथवा किसी अन्य बैंक/ वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋण सुविधा उम्मीदवार या निकाय चूककर्ता हों	

	या पूर्व में चूक की हो ।	
III	व्यावसायिक उपलब्धियों का विवरण	
ए.	निदेशक से संबंधित व्यवसायिक उपलब्धियाँ, यदि कोई हों	
IV	उम्मीदवार के विरुद्ध की गई कार्रवाई, यदि कोई हो	
ए.	यदि प्रत्यासी किसी व्यवसायी संघ / निकाय के सदस्य हैं तो उम्मीदवार के विरुद्ध यदि कोई अनुशासनिक कार्रवाई लंबित है या जारी है या कभी दोषी ठहराये गये हैं या उम्मीदवार के किसी भी व्यवसाय / धंधा करने में किसी भी समय रोक लगाई गई है तो विवरण दें ।	
बी.	उम्मीदवार और / या उपर्युक्ता(बी)॥(सी) में सूचित कंपनियों के विरुद्ध आर्थिक नियम व विनियमों के उल्लंघन के लिए मुकदमा, यदि कोई हो, लंबित है या जारी है या कभी दोषी ठहराए गए हैं तो विवरण दें	
सी.	उम्मीदवार के विरुद्ध यदि कोई आपराधिक अभियोजन लंबित है, जारी है या कभी दोषी ठहराए गए हैं तो विवरण दें ।	
डी.	यदि एएमएल / सीएफटी दिशानिर्देशों के किसी भी उल्लंघन में लिप्त हैं, तो उसका विवरण।	
एफ.	क्या उम्मीदवार पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 और इसके तहत बने नियमों, साथ ही राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन और विविध उपबंध) योजना, 1970 के अनुच्छेद 10 के तहत कोई अपात्रता लागू होती है।	
जी.	ए) यदि अपराध के एक आपराधिक न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया जाता है जिसमें नैतिक क्रूरता या अन्यथा शामिल है, तो उसका विवरण। बी) यदि किसी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है, तो उसका विवरण दें ।	
एच.	यदि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के अधीन कोई भी लाभ का पद धारण करते हैं, तो एक पूर्णकालिक निदेशक के पद को छोड़कर, उसका विवरण	
आई.	यदि एक व्यक्ति के रूप में या किसी अन्य के रूप में ॥ (बी) से (एच) तक किसी भी संस्था में किसी भी जांच / सर्तर्कता / पिछले नियोक्ता या सरकारी विभागों या एजेंसी में जांच का कोई भी मामलों के लंबित है, तो उसका विवरण।	

जे.	यदि उम्मीदवार किसी भी समय नियमों / विनियमों सीमा / उत्पाद / आय कर / विदेशी विनिमय / अन्य राजस्व प्रधिकारियों से वांछित विधिक अपेक्षाओं के उल्लंघन के लिए दोषी ठहराए गए हैं तो विवरण दें	
के.	क्या उम्मीदवार या उपर्युक्ता॥(बी)॥(सी) में सूचित किसी भी कंपनी पर सेबी,डीसीए, आईआरडीए, एमसीए, फेमा, सिबिल आदि जैसे नियामकों द्वारा कभी विपरीत सूचना दी गई है । (हालांकि अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य यह नहीं है कि विनियामक द्वारा जिन प्रदत्त आदेशों और कमियों को बाद में संशोधित / पूर्णतः निरस्त कर दिया गया उनको कॉलम में प्रदर्शित करें , लेकिन यदि परिसीमन अथवा अधिकारक्षेत्र न होने और गुणों के आधार पर नहीं आदि तकनीकी कारणों से संधोधन / निरस्त करने के मामले में उसके विवरण प्रदान करना अनिवार्य है । यदि विनियामक का आदेश अस्थायी रूप से रुका हुआ है और अपीलीय / न्यायालय में निर्णय लंबित है तो उसके विवरण भी प्रदान किए जाने चाहिए ।	
V	सामान्य सूचना	
ए.	यदि सनदी लेखाकारों, अधिवक्ताओं आदि जैसे पेशेवर और किसी भी बैंक में वर्तमान में/ पूर्व में कोई भी पेशेवर काम किया है तो बैंक के नाम और बैंक के सहयोग की अवधि सहित उसका विवरण प्रदान करें ।	
बी.	यदि उम्मीदवार वर्तमान में सांसद/विधानसभा सदस्य /विधान परिषद सदस्य है या नगर निगम, नगरपालिका या अन्य स्थानीय निकायों में राजनीतिक पद रखता है, तो उसका विवरण प्रदान करें।	
सी.	क्या अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय उम्मीदवार/निदेशक किसी अच्य व्यक्ति, संस्था, बैंक, कंपनी आदि के निर्देशों या आदेशों का पालन करेगा? यदि हाँ, तो विवरण दें।	
डी.	क्या उम्मीदवार ने अपनी व्यक्तिगत क्षमता में बैंक के साथ कोई व्यवसाय किया है? यदि हाँ, तो उसका विवरण दें।	
VI	प्रकटीकरण और पारदर्शिता के हित में, यदि उम्मीदवार के 'फिट और प्रॉपर' होने का मूल्यांकन करने के लिए कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी हो, तो उसका विवरण दें।	

वचनः

मैं

पुत्र /पुत्री / पत्नी श्री

-----पुष्ट करता हूँ कि दी गई उपर्युक्त जानकारी मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सही व पूर्ण है । मैं वचन देता हूँ कि अपनी नियुक्ति के पश्चात् होने वाली उन सभी घटनाओं से बैंक को पूर्ण रूप से यथाशीघ्र अवगत कराता रहूँगा जो मेरे द्वारा प्रदत्त उपर्युक्त जानकारी से जुड़ी होंगी ।

मैं बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने पर औचित्य विलेख का निष्पादन करने का भी वचनबद्ध हूँ ।

तारीख :

स्थान :

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

संलग्नक

नोट : 1. जहाँ कही पर्याप्त जगह न हो तो, अनुबंध संलग्न करें और उसमें कालक्रमानुसार जानकारी दें और उचित संदर्भों का भी उल्लेख करें ।

2. उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक पृष्ठ [अनुबंधों सहित] प्राधिकृत किया जाना अपेक्षित है ।

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के प्रेक्षण

समिति सदस्य	समिति सदस्य	समिति सदस्य

स्थान :

दिनांक :

CONTENTS

PARTICULARS	PAGE NO
Notice to the Shareholders	35
Notes	36
Explanatory Statement	47
Nomination Form	55
Declaration Form	56
Personal Information, Declaration and Undertaking	59

IMPORTANT CALENDAR OF EVENTS

CALENDAR OF EVENTS	Date
Specified Date/Cut-off date for the purpose of determining the shareholders eligible for nominating, contesting the election	17.10.2025 (Friday)
Last date for submission of nomination forms (on or before) by the candidates contesting for the election of Shareholder Director	04.11.2025 (Tuesday)
Scrutiny of Nominations by the competent committee	05.11.2025 (Wednesday)
Date for ascertaining shareholders who will be entitled to vote in the election of Director at the EGM.	13.11.2025 (Thursday)
Last date for Withdrawal of Nominations	15.11.2025 05:00 p.m. (Saturday)
E-voting Dates on CDSL e-voting platform	17.11.2025 (9:00 a.m.) to 19.11.2025 (5:00 p.m.)
Date and Time of EGM through Video Conference (VC) and other Audio-Visual Means (OAVM)	20.11.2025 (Thursday)

Deemed Venue of the EGM	Indian Overseas Bank, Central Office, 763, Anna Salai, Chennai 600 002
-------------------------	---



INDIAN OVERSEAS BANK
Central Office, 763 Anna Salai, Chennai 600 002

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS

NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 57 of the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 (amended up to 2008) that an **Extraordinary General Meeting (EGM) of the Shareholders of Indian Overseas Bank** will be held on **Thursday, 20th November, 2025 at 11:00 A.M. (IST) through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM)** to transact the following business:

To consider and if thought fit, to pass, the following resolution with or without modification as a Special Resolution:

To elect one Director from amongst the shareholders of the Bank (other than the Central Government) in terms of Section 9(3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the "Act") read with The Banking Regulation Act, 1949 (hereinafter referred to as the "Regulation Act") and Nationalized Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the "Scheme") and the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 (amended up to 2008) (hereinafter referred to as "the Regulations") made pursuant to Section 19 of the Act, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended ("SEBI Listing Regulations") and RBI Master Directions 2019 on 'Fit and Proper' Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs issued vide Notification No. DBR.Appt.No: 9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019 (updated as on June 03, 2020) (hereinafter referred to as "RBI Master Directions") and further amendments thereto, if any and Govt. of India, DFS Notification No. F.No.16/83/2013-BO.I dated 3rd September, 2013, and F.No.16/51/2012-BO.I dated April 28, 2015 read with guidelines dated March 25, 2015 and July 20, 2016 issued by Government of India for appointment of Non-Official Directors (NODs) in Public Sector Banks ("GOI Guidelines") and further amendments thereto, if any, by passing a Special Resolution in the Extra-ordinary General Meeting of the Shareholders of the bank.

"RESOLVED THAT one Director from amongst shareholders other than the Central Government pursuant to Section 9(3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with Banking Regulation Act, 1949, relevant Scheme, Regulations made thereunder and RBI Master Directions, Notifications, GOI Guidelines, etc., be and is hereby elected as the Director of the Bank to assume office from the day next to the date of election and shall hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption of office as Director".

The aforesaid Election and the Resolution shall also be considered to be under the provisions of Regulation 25(2A) of SEBI Listing Regulations.

On behalf of the Board of Directors

Sd/-

Place: Chennai
Date: 18th October 2025

(Ajay Kumar Srivastava)
Managing Director & CEO

NOTES

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING (EGM) THROUGH VIDEO CONFERENCING / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS

MCA (Ministry of Corporate Affairs) vide circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, No.17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020 & Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 & Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022, Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023, Circular no.09/2024 dated September 19, 2024, Circular No.3/2025 dated September 22, 2025 has permitted companies to hold their Extraordinary General Meetings(EGMs) through Video Conferencing ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM"), till further orders.

Pursuant to Regulation 44(2) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI LODR Regulations"), the facility for e-voting to shareholders shall be provided in accordance with the provisions of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014. In line with Section 1(4)(c) of the Companies Act, 2013, read with Regulation 44 of the SEBI LODR Regulations, the Bank has adopted the applicable provisions of the Companies Act, 2013 to the extent applicable to the bank.

Accordingly, the Extraordinary General Meeting of the Bank is being convened through VC / OAVM in compliance with the above Circulars and other applicable provisions.

The Bank has appointed Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) to provide facility for voting through remote e-voting VC/OAVM facility for the EGM and as the attendant enablers for conducting of the EGM.

Shareholders may join the EGM through VC/OAVM facility by following the procedure mentioned in the Notice, which shall be kept open for the shareholders on **20th November, 2025** from 10:30 a.m. i.e., 30 minutes before the time scheduled to start the EGM. The Window for joining the EGM through VC/OAVM facility may be closed 30 minutes after the scheduled start time.

In line with the aforesaid SEBI and MCA Circulars, the Notice of EGM is being sent only through electronic mode to those shareholders whose email addresses are registered with the Bank / Depositories. Shareholder may note that Notice has been uploaded on the website of the Bank at www.iob.bank.in The Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges i.e. National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited at www.nseindia.com and www.bseindia.com respectively and the EGM Notice is also available on the website of CDSL (agency for providing the Remote e-Voting facility) i.e. www.cdslindia.com.

Shareholders holding shares in physical mode may temporarily register their e-mail Ids by clicking on the link <https://wisdom.cameoindia.com> to get the soft copy of the Notice of EGM. The Central office of the Bank at no. 763, Anna Salai, Chennai – 600 002 shall be the deemed venue for the meeting.

SPECIFIED/CUT-OFF DATE FOR SHAREHOLDERS ENTITLED TO PARTICIPATE IN THE ELECTION OF SHAREHOLDER DIRECTOR:

It has been decided to fix **Friday, 17th October 2025** as "**Specified Date**"/ "**Cut-Off Date**" for the purpose of determining the list of Shareholders entitled to participate in the Election i.e., to Nominate and Contest for the Election of one Director from amongst the Shareholders of the Bank other than the Central Government.

VOTING RIGHTS AND CUT-OFF DATE FOR E- VOTING:

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisition & transfer of Undertaking) Act 1970, No shareholder of the bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the bank.

Subject to the above, each shareholder who has been registered as a shareholder as on **Friday, 17th October 2025, being the Specified/Cut-off Date** will be eligible to participate in EGM for the purpose of nomination and election of shareholders.

For the purpose of remote e-voting, Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on **Thursday, 13th November, 2025**, shall be eligible to cast their vote electronically during the remote e-voting window as detailed below. The facility for voting shall also be made available during the EGM and the shareholders participating in the meeting who have not cast their votes by remote e-voting shall be able to exercise their right during the meeting through e-voting.

As per Regulation 10 of the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person only is entitled to participate in the meeting and is eligible to cast vote on the agenda either through remote e-voting or e-voting at the EGM.

REMOTE E-VOTING:

Pursuant to Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 (as amended) and MCA (Ministry of Corporate Affairs) vide circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, No.17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020 & Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 & Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022, Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023, Circular no.09/2024 dated September 19, 2024, Circular No. 03/2025 dated September 22, 2025 and the Uniform Listing Agreements with stock exchanges, your Bank is pleased to provide Remote e-voting facility to enable shareholders to cast their votes electronically on the item mentioned in the notice for which Bank has appointed **Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL)** as e-voting agency to provide the remote e-voting platform.

The E-voting rights of the shareholders/beneficiary owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on **Thursday, 13th November, 2025**, being the Cut-off Date for the purpose remote e-voting. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off Date, may cast their vote electronically. The Bank has appointed M/s. R Sridharan & Associates, Company Secretaries (FCS No. 4775) (CP. No. 3239), as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting process as well as the e-voting process on the date of the EGM in a fair and transparent manner.

THE INSTRUCTIONS FOR SHAREHOLDERS FOR REMOTE E-VOTING ARE AS UNDER:

Step 1 : Access through Depositories CDSL/NSDL e-Voting system in case of individual shareholders holding shares in demat mode.

Step 2 : Access through CDSL e-Voting system in case of shareholders holding shares in physical mode and non-individual shareholders in demat mode.

- (vi) The remote e-voting period begins **on Monday, 17th November, 2025, at 9:00 a.m. (IST)** and ends **on Wednesday, 19th November 2025, at 5:00 p.m. (IST)**. During this period shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Cut-off date on **13th November, 2025**, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.
- (vii) Shareholders who have already voted prior to the meeting date would not be entitled to vote at the meeting.
- (viii) Pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 09, 2020, under Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, listed entities are required to provide remote e-voting facility to its shareholders, in respect of all shareholders' resolutions. However, it has been observed that the participation by the public non-institutional shareholder's/retail shareholders is at a negligible level.

Currently, there are multiple e-voting service providers (ESPs) providing e-voting facility to listed entities in India. This necessitates registration on various ESPs and maintenance of multiple user IDs and passwords by the shareholders.

In order to increase the efficiency of the voting process, pursuant to a public consultation, it has been decided to enable e-voting to all the demat account holders, by way of a single login credential, through their demat accounts/ websites of Depositories/ Depository Participants. Demat account holders would be able to cast their vote without having to register again with the ESPs, thereby, not only facilitating seamless authentication but also enhancing ease and convenience of participating in e-voting process.

- (ix) In terms of SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020, on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

Pursuant to abovesaid SEBI Circular, Login method for e-Voting and joining virtual meetings for **Individual shareholders holding securities in Demat mode CDSL/NSDL** is given below:

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with CDSL Depository	<p>5) Users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility, can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The users to login to Easi / Easiest are requested to visit CDSL website www.cdslindia.com and click on login icon & My Easi New (Token) Tab.</p> <p>6) After successful login the Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the e-voting is in progress as per the information provided by company. On clicking the e-voting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Additionally, there is also links provided to access the system of all e-Voting Service Providers, so that the user can visit the e-Voting service providers' website directly.</p>

	<p>7) If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at CDSL website www.cDSLindia.com and click on login & My Easi New (Token) Tab and then click on registration option.</p> <p>8) Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN No. from a e-Voting link available on www.cDSLindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the e-voting is in progress and also able to directly access the system of all e-Voting Service Providers.</p>
<p>Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL Depository</p>	<p>5) If you are already registered for NSDL IDeAS facility, please visit the e-Services website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://eservices.nsdl.com either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Services is launched, click on the "Beneficial Owner" icon under "Login" which is available under 'IDeAS' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services. Click on "Access to e-Voting" under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be re-directed to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.</p> <p>6) If the user is not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com. Select "Register Online for IDeAS "Portal or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp</p> <p>7) Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e., your sixteen-digit demat account number hold with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting &</p>

	<p>voting during the meeting.</p> <p>8) For OTP based login you can click on https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp. You will have to enter your 8-digit DP ID, 8-digit Client Id, PAN No., Verification code and generate OTP. Enter the OTP received on registered email id/mobile number and click on login. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be re-directed to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.</p>
<p>Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their Depository Participants (DP)</p>	<p>You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. After Successful login, you will be able to see e-Voting option. Once you click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.</p>

Important Note:

Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at above mentioned website.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e., CDSL and NSDL.

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at Toll free no. 1800 21 09911
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.022 4886 7000 and 022 2499 7000

(x) Login method for e-Voting and joining virtual meetings for **Physical shareholders and shareholders other than individual holding in Demat form.**

- 7) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.
- 8) Click on "Shareholders" module.
- 9) Now enter your User ID
 - a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,

- b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
- c. Shareholders holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank.

- 10) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
- 11) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier e-voting of any company, then your existing password is to be used.
- 12) If you are a first-time user, follow the steps given below:

For Physical shareholders and other than individual shareholders holding shares in Demat.	
PAN	<p>Enter your 10-digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders)</p> <p>Shareholders who have not updated their PAN with the Company/Depository Participant are requested to use the sequence number sent by Company/RTA or contact Company/RTA.</p>
Dividend Bank Details OR Date of Birth (DOB)	<p>Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the company records in order to login.</p> <p>If both the details are not recorded with the depository or Bank, please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field.</p>

- (xi) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.
- (xii) Shareholders holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, shareholders holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- (xiii) For shareholders holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.
- (xiv) Click on EVSN 251014004 for exercising e-voting of agenda of EGM 2025.
- (xv) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.
- (xvi) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.
- (xvii) After selecting the resolution, you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.

- (xviii) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- (xix) You can also take a print of the votes cast by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.
- (xx) If a demat account holder has forgotten the login password, then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.
- (xxi) There is also an optional provision to upload BR/POA if any uploaded, which will be made available to scrutinizer for verification.

PROCESS FOR THOSE SHAREHOLDERS WHOSE EMAIL ADDRESSES ARE NOT REGISTERED WITH THE DEPOSITORIES FOR OBTAINING LOGIN CREDENTIALS FOR E-VOTING FOR THE RESOLUTION PROPOSED IN THIS NOTICE:

1. **For Physical shareholders** - Please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAAR (self-attested scanned copy of Aadhaar Card) by login in the online Investor Portal <https://wisdom.cameoindia.com/>
2. **For Demat shareholders** - Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP)
3. **For Individual Demat shareholders** – Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP) which is mandatory while e-Voting & joining virtual meetings through Depository.

INSTRUCTIONS FOR SHAREHOLDERS ATTENDING THE EGM THROUGH VC/OAVM & E-VOTING DURING MEETING ARE AS UNDER:

14. The procedure for attending meeting & e-Voting on the day of the EGM is same as the instructions mentioned above for e-voting.
15. The link for VC/OAVM to attend meeting will be available where the EVSN of Company will be displayed after successful login as per the instructions mentioned above for e-voting.
16. Shareholders are encouraged to join the Meeting through Laptops / iPad for better experience.
17. Further shareholders will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
18. Please note that Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
19. The Shareholders can join the EGM through the VC/OAVM mode 15 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The facility of participation at the EGM through VC/OAVM will be made available for 1,000 shareholders on first come first served basis. This will not include large Shareholders (Shareholders holding 2% or

more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc. who are allowed to attend the EGM without restriction on account of first come first served basis.

20. Shareholders who would like to express their views/ask questions during the meeting may register themselves as a speaker by sending their request by mentioning their name, Demat account number/folio number, email id, mobile number at investor@iobnet.co.in. The window for registration of speaker shareholder will be kept open from 14th November, 2025 09:00 a.m. (IST) to 16th November, 2025 05:00 p.m. (IST). The shareholders who do not wish to speak during the EGM but have queries may send their queries in advance not later than 16th November, 2025 mentioning their name, Demat account number/folio number, email id, mobile number at investor@iobnet.co.in These queries will be replied to by the Bank suitably by email.
21. Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting.
22. The shareholders attending the EGM through VC/OAVM will be counted for the purpose reckoning the quorum under Regulation 58 of Indian Overseas Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2003 and also as per Section 103 of the Companies Act, 2013.
23. Only those shareholders, who are present in the EGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system available during the EGM.
24. Once the vote on the resolution is cast by a member, the member shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again.
25. If any Votes are cast by the shareholders through the e-voting available during the EGM and if the same shareholders have not participated in the meeting through VC/OAVM facility, then the votes cast by such shareholders shall be considered invalid as the facility of e-voting during the meeting is available only to the shareholders attending the meeting.
26. Shareholders who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the EGM. However, they will not be eligible to vote at the EGM.

Note for Non – Individual Shareholders and Custodians- For Remote Voting Only

- Non-Individual shareholders (i.e., other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodians are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves in the "Corporates" module.
- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts linked in the login will be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.

- A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
- Alternatively, Non-Individual shareholders are mandatory required to send the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory who are authorized to vote, to the Scrutinizer and to the Bank at the email address viz; at investor@iobnet.co.in with marking copy to and rsaevoting@gmail.com, if they have voted from individual tab & not uploaded same in the CDSL e-voting system for the scrutinizer to verify the same.

If you have any queries or issues regarding attending EGM & e-Voting from the e-Voting System, you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no 1800 21 09911.

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Senior Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400 013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call toll free no. 1800 21 09911.

APPOINTMENT OF PROXY:

Pursuant to MCA circular No. 14/2020 dated April 08, 2020 and other relevant circulars issued in this regard, the facility to appoint proxy to attend and cast vote on behalf the shareholders are not available for this EGM, as it is being held through VC/OAVM. Accordingly, the Proxy Form and Attendance Slip are not annexed to this Notice.

APPOINTMENT OF AN AUTHORIZED REPRESENTATIVE:

Pursuant to Regulation 69 of the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 (Amended up to 2008) Body Corporates are entitled to appoint authorized representatives to attend the EGM through VC/OAVM and participate thereat and cast their votes through e-voting. Institutional /Corporate Shareholders (i.e., other than individuals/HUF, NRI, etc.) are required to send a scanned copy (PDF/JPEG Format) of its Board Resolution or governing body Resolution/Authorization etc., authorizing its representative to participate in the EGM through VC/OAVM on its behalf and to vote through e-voting. The said Resolution/Authorization shall be sent to the Scrutinizer by email through their registered email address to rsaevoting@gmail.com with copy to investor@iobnet.co.in not less than FOUR DAYS before the date of EGM i.e., **on or before 4:00 p.m. (IST) on Saturday, 15th November, 2025.**

CHANGE OF ADDRESS:

Shareholders holding shares in physical form are requested to send formal request, if any, to the Share Transfer Agent of the Bank at the following address:

M/s. Cameo Corporate Services Ltd.

(Unit-Indian Overseas Bank)
Subramanian Building, V Floor,
No.1 Club House Road, Chennai – 600 002
Telephone: 044 - 4002 0700
Online Investor Portal: <https://wisdom.cameoindia.com>
Website: www.cameoindia.com

Shareholders holding shares in electronic form are requested to intimate changes, if any, only to their respective Depository Participant(s).

NORMS FOR FURNISHING OF PAN, KYC, BANK DETAILS AND NOMINATION:

In terms of SEBI Master Circular SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/37 dated May 07, 2024 it is mandatory to furnish PAN, KYC details and Nomination by holders of physical securities and provides that any dividend/ interest to the security holders (holding securities in physical form), whose folio(s) do not have PAN or Choice of Nomination or Contact Details or Mobile Number or Bank Account Details or Specimen Signature updated, shall be eligible for any payment of dividend/interest, through electronic mode only with effect from April 01, 2024, upon their furnishing all the aforesaid details in entirety.

It shall be mandatory for all holders of physical securities in listed companies to furnish PAN, Nomination, Contact details, Bank A/c details and Specimen signature for their corresponding folio numbers. Accordingly, it is once again reiterated that it is mandatory for all holders and claimants of physical securities to furnish all the above-mentioned details to RTA.

Pursuant to above SEBI circular, the shareholders are requested to furnish valid PAN, e-mail address, mobile number, Bank account details and nomination details immediately in the below mentioned forms to the RTA below mentioned address:

Sr. No	Form	Purpose
1	Form ISR-1	To register/update PAN, KYC details
2	Form ISR-2	To Confirm Signature of securities holder by the Bank
3	Form ISR-3	Declaration Form for opting out of Nomination
4	Form ISR-13	Nomination Form
5	Form ISR-14	Cancellation or Variation of Nomination (if any)

Cameo Corporate Services Ltd.

(Unit-Indian Overseas Bank)

Subramanian Building, V Floor,

No.1 Club House Road, Chennai – 600 002

Telephone: 044 - 4002 0700

Online Investor Portal: <https://wisdom.cameoindia.com>

Website: www.cameoindia.com

DEMATERIALIZATION OF PHYSICAL HOLDINGS:

SEBI has amended relevant provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to disallow listed companies from accepting request for transfer of securities which are held in physical form, with effect from 01st April 2019. Further it has been mandated vide amendment 2022 that transmission or transposition of securities held in physical or dematerialized form shall be effected only in dematerialized form. The shareholders who continue to hold shares in physical form even after this date, will not be able to lodge the shares with Bank / its RTA for further transfer. They will need to convert them to demat form compulsorily if they wish to effect, any transfer. Only the requests for transmission and transposition of securities in physical form, will be accepted by the RTA.

In view of the aforesaid amendment, the shareholders of the Bank, who are holding physical shares of Indian Overseas Bank, are once again advised to get their shares dematerialized. Shareholders can open a demat account in either of the two Depositories, viz. National Securities Depository Ltd., or Central Depository Services (India) Ltd through any of the Depository Participant.

BENEFITS OF DEMATERIALIZATION OF SHARES:

No threat of loss and wear and tear of share certificate, Easy and convenient way to hold securities, Immediate transfer of securities, Reduced paperwork for transfer of securities and Reduced Transaction cost etc.

RESULTS OF REMOTE E-VOTING & E-VOTING DURING EGM:

The Scrutinizer shall, immediately after the conclusion of e-voting at the EGM, first count the votes cast during the EGM, thereafter, unblock the votes cast through remote e-voting and make, not later than 48 hours of conclusion of the EGM, a consolidated Scrutinizer's Report of the total votes cast in favour or against, if any, to the Chairman or a person authorized by him in writing, who shall countersign the same. The results of the remote e-voting aggregated with the results of e-Voting at the EGM will be announced by the Bank in its website and also informed to the Stock Exchanges.

**By Order of the Board of Directors
For Indian Overseas Bank**

-Sd/-

Place: Chennai

(Ajay Kumar Srivastava)

Date: 18th October 2025

Managing Director & CEO

EXPLANATORY STATEMENT(S)

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is detailed below and form part of the Notice.

A. ELECTION OF ONE SHAREHOLDER DIRECTOR:

Legal Requirement of electing a Shareholder Director:

Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, stipulates that every Board of Directors of a corresponding new bank shall include directors in the board as detailed under, where the equity capital of the bank issued under clause (c) of sub-section (2B) of section 3 of the said Act, to the public is

- a) not more than sixteen per cent of the total paid-up capital** - one director
- b) more than sixteen per cent, but not more than thirty-two percent of the total paid up capital** - two directors
- c) more than thirty-two per cent of the total paid up capital** - three directors

to be elected by the shareholders, other than the Central Government, from amongst themselves.

As the public shareholding in the Bank as on 30th September, 2025 is 5.39%, Shareholders other than the Central Government are entitled to elect one Director on the Board of the Bank among themselves.

Reason for the election:

Board in its meeting held on 21st October, 2022 accorded its approval for convening an Extraordinary General Meeting (EGM) on 15th December, 2022 for election of one Shareholder Director from amongst the shareholders other than Central Government in the place of Shri. Navin Prakash Sinha, who had resigned on 07th October, 2022.

Accordingly, the Bank issued a Notice on 08th November, 2022 to convene an EGM of the Shareholders of the Bank on 15th December, 2022. The Bank received one valid nomination from Shri. Sanjaya Rastogi, who has been elected as Shareholder Director of the Bank on 03rd December, 2022 for a term of three years i.e. till 02nd December, 2025.

Now, the term of the present Shareholder Director, Shri. Sanjaya Rastogi, is completing on 02nd December, 2025. In order to fill up the vacancy of shareholder Director that will arise on 03rd December, 2025, it is necessary to conduct an election for Shareholder Director amongst the Shareholders of the bank other than Central Government, by convening an Extra-Ordinary General Meeting (EGM).

With a view to fill in the said vacancy that will arise on 03rd December, 2025, the Board of Directors have decided to conduct an Election of One Director from amongst Shareholders other than the Central Government (Shareholder Director) at the EGM to be held on 20th November, 2025.

The Shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their nominations as per the procedure detailed in relevant Act, Scheme, Regulations, Notification and Guidelines.

The Shareholder Director will be elected after the scrutiny of the nominations submitted by the contesting shareholders to the Bank and determination of his/her 'Fit & Proper' Status shall be assessed by the Nomination and Remuneration Committee (NRC) of the Board and subsequent election at the EGM. The Shareholder Director so elected shall assume office

from the day next to the date of his/her election and shall hold office for a period of three years.

LEGAL PROVISIONS

The following table indicates the provisions contained in various Acts/ Scheme / Regulations /Notifications/Directions of Govt. of India applicable in this regard:

ACT/SCHEME/REGULATIONS/NOTIFICATIONS/DIRECTIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
The Banking Regulation Act, 1949	Section 5 (ne)	➤ Substantial Interest
	Section 16 (1)	➤ Prohibition of Common Directors
	Section 20	➤ Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors
The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Section 3 (2E)	➤ Restriction on voting rights
	Section 9(3)(i)	➤ No. of directors to be elected by the shareholders
	Sec.9(3A) (A)to(C)	➤ Special knowledge in certain fields
	Section 9(3AA) Section 9(3AB)	➤ No person shall be eligible to be elected as director unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe.
	Section 9(3B)	➤ Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfil the requirements of Section 9(3A) and 9(3AA) of the said Act.
	Section 13(2)	➤ Obligation as to fidelity and secrecy
The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970	Clause 9(4)	➤ Term of office of elected directors
	Clause 10	➤ Disqualifications from being elected as a Director of the Bank
	Clause 11	➤ Vacation of office of Director
	Clause 11A	➤ Removal from office of an elected Director
	Clause 11B	➤ Filling of casual vacancy in the office of an elected Director
	Clause 12(8)	➤ Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested.
Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations 2003 (amended upto 2008)	Regulation 10	➤ Exercise of rights of joint holders
	Regulation 61	➤ Voting at General Meetings
	Regulation 63	➤ Directors to be elected at General Meetings
	Regulation 64	➤ List of Shareholders
	Regulation 65	➤ Nomination of candidates for election
	Regulation 66	➤ Scrutiny of nominations
	Regulation 67	➤ Election disputes
	Regulation 68	➤ Determination of voting rights
	Regulation 69	➤ Voting by duly authorized representative
RBI/DBR/2019-20/71, Master	Pursuant to	'Fit and Proper' Criteria for Elected

Direction DBR/APPT No.: 9/29.67 .001/2019-20 dated August 2, 2019	Section 9(3AA) and Section 9(3AB) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Directors on the Boards of PSBs.
Letter dated 3rd September 2013 vide Ref F. No. 16/83/2013-BO.I issued by Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services and Criteria laid down by the Central Government for consideration as a Non-Official Director (NOD) in Public Sector Banks issued on March 25, 2015 and July 20, 2016 and subsequent amendments thereto, if any		Criteria laid down by the Central Government for consideration as a Non-Official Director (NOD) in Public Sector Banks
RBI Master Circular DBR. No. Dir. BC. 10/13.03.00/2015-16 dated July 1, 2015 and subsequent amendments thereto, if any		Granting loans and advances to relatives of Directors
RBI Notification DBR.Appt. BC. No.39/ 29.39.001/ 2016-17 dated November 24, 2016		Special Knowledge or practical experience useful to banking companies
SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015		Provisions relating to Independent Director and their appointment

For the convenience of the shareholders, the relevant extracts from the Act, Regulation Act, the Scheme, Regulations, Listing Regulations as well as RBI Master Directions DBR/APPT No.: 9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019, GOI Guidelines dated 25 March 2015 and July 20, 2016, RBI Notification DBR.Appt.BC.No.39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016 and other applicable guidelines will be hosted in the Bank's website www.iob.bank.in. Such extracts will also be e-mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the Deputy General Manager, Indian Overseas Bank, Investor Relations Cell, Central Office, 763, Anna Salai, Chennai - 600 002 on or before the last date fixed for submission of nomination forms i.e. **05:00 p.m. Tuesday, 04th November, 2025**.

PARTICIPATION IN ELECTION AND VOTING:

Such of those shareholders whose names appear on the Register of Shareholders / Beneficial Owners as furnished by NSDL / CDSL as on the Specified date/Cutoff date i.e., on **Friday, 17th October, 2025** shall be entitled to participate i.e. nominate, contest in election of one director from amongst Shareholders other than the Central Government. However, it

may be noted that Central Government is not entitled to participate in the election of director but may attend the EGM as an observer.

Pursuant to Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, members whose names appear in the Register of Members / Beneficial Owners as on the cut-off date, i.e., **13th November, 2025**, shall be entitled to exercise their right to vote either through remote e-voting or at the EGM, provided they have not cast their vote by remote e-voting.

QUALIFICATIONS REQUIRED FOR BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK:

In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate, being a shareholder of the Bank and who desires to be elected as Director of the Bank under Section 9(3) (i) of the Act shall

a) have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters namely: -

- Agricultural and Rural Economy
- Banking
- Co-operation
- Economics
- Finance
- Law
- Small scale industry
- Any other matter the special knowledge of, and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the Bank.

b) Represents the interest of depositors; or

c) Represents the interest of farmers, workers and artisans

RBI vide its circular no.DBR.Appt.BC.No.39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016 has extended the fields of specialization to include:

6. Information Technology
7. Payment & Settlement Systems
8. Human Resources
9. Risk Management and
10. Business Management

In terms of Section 9(3AA) of the Act and RBI notifications, a candidate being a shareholder of the Bank who desires to be a Director of the Bank should possess 'Fit and Proper' status.

Further the elected Director should execute a Deed of Covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

DISQUALIFICATIONS FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK:

a) In terms of Clause 10 of the Scheme, a person shall be disqualified for being appointed as and for being, a Director:

- if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
- if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

- if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or
- if he holds any office of profit under any nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of whole time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank and

b) If he is not found to be 'fit and proper' person in terms of RBI Notifications No. RBI/DBR/2019-20/71, Master Direction DBR/APPT No.: 9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019 read with the criteria laid down by the Central Government for consideration as a Non-official Director in Public Sector Banks by the Nomination and Remuneration Committee of the Board of the Bank.

LIST OF SHAREHOLDERS:

As provided in Regulation 64 of the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 (amended up to 2008), a copy of the List of Shareholders (in electronic form – as on specified date i.e. 17th October, 2025) will be available at the Central Office of the Bank from the Deputy General Manager, Indian Overseas Bank, Investor Relations Cell, 763, Anna Salai, Chennai from **Monday, 20th October, 2025** onwards for purchase by Shareholders on payment of Rs.50,000/- (Rupees Fifty Thousand Only) plus tax as applicable by Demand Draft / Pay Order in favor of "Indian Overseas Bank" payable at Chennai. The candidates desirous of purchasing the said list shall have to give an undertaking that the list will be used in canvassing for the election and shall not be used for any other purpose whatsoever.

As provided in Regulation 11 of the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 (amended up to 2008), the Register of Shareholders will be open for inspection at the Bank's Central Office at 763, Anna Salai, Chennai 600 002 on all working days (other than Second and Fourth Saturdays, Sundays and Bank Holidays) i.e. from Monday to Friday and first and third Saturdays between 11:00 a.m. and 4:00 p.m. for the purpose of enabling the contestants to take extracts of any part from the Register of the Shareholders. Shareholders who are desirous of inspecting the Register of Shareholders are required to intimate the Compliance Officer / Company Secretary of the Bank at investor@iobnet.co.in and on 044-71729791 at least one working day before the day of inspection.

If any shareholder requires a copy or computer print of select / part information, purchase by Shareholders at Rs.5/- per 1,000 words and part thereof subject to a maximum of Rs.50,000/- (including for full shareholders' list).

NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION:

In terms of Regulation 65 of the "Regulations" and in terms of Notifications of Reserve Bank of India RBI/DBR/2019-20/71 Master Direction DBR/APPT No.: 9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019 and letter dated 3rd September 2013 vide Ref F No. 16/83/2013- BO.I issued by the Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services and Criteria laid down by the Central Government for consideration as a Non-Official Director (NOD) in Public Sector Banks issued on March 25, 2015 and July 20, 2016 (GOI Guidelines) and other applicable provisions of various Acts, nomination of a candidate for election as a Director shall be valid provided:

- a) He / she is a shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares of the Bank as on Friday, 17th October, 2025 being the Specified/Cutoff Date of reckoning for participation in the election and continues to hold a minimum of 100 shares till the date of the meeting and thereafter till the end of his/her tenure, if he/she is elected.
- b) As on **Tuesday, 04th November, 2025** being the last date for receipt of nomination, he / she is not disqualified to be a Director under the Banking Regulation Act, 1949 or the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 or the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 or Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 and thereafter has been found "Fit and Proper" by the Board of Directors in accordance with the provisions of the Master Directions - Reserve Bank of India ('Fit and Proper' Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs) Directions dated 2nd August, 2019, read with Guidelines dated 25th March, 2015 and 8th July, 2016 issued by the Government for Non-Official Directors of the Public Sector Banks and appointment of Independent Director under SEBI (LODR) Regulations 2015 or such other directives as may be issued from time to time for being elected as a Director.
- c) The valid nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Central Office of the Bank addressed to the Deputy General Manager, Indian Overseas Bank, Investor Relations Cell, Balance Sheet Management Department, Central Office, 763, Anna Salai, Chennai – 600 002 and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such company.
- d) The valid nomination is to be accompanied by a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized Bank, that he / she accepts the nomination and is willing to stand for election and that he / she is not disqualified either under the Act or the Scheme or the Regulations / RBI Notification or applicable GOI Guidelines from being a Director along with his / her personal details (bio data) duly signed and affirming that such details are true to the best of his / her knowledge and belief and also his / her undertaking to keep the Bank fully informed as soon as possible of such events which are relevant to the information, subsequent to the declaration.
- e) The proforma of Nomination Form and Declaration Form are annexed to this Notice (also available on the Bank's website: www.iob.bank.in).

SUBMISSION OF NOMINATION FORMS:

Shareholders desirous of contesting the election of the Directors of the Bank from amongst the shareholders, other than the Central Government, should submit the following documents in the formats annexed to the Notice:

- a) Duly filled in Declaration Form.
- b) Nominations from minimum of one hundred shareholders entitled to participate in the election.
- c) Personal Information, Declaration and Undertaking together with the connected documents, testimonials, viz. self attested copies of Bio-data, Certificate of Educational Qualifications, Experience, etc., in a sealed envelope to the **Deputy General Manager, Indian Overseas Bank, Investor Relations Cell, Balance Sheet**

Management Department, Central Office, 763, Anna Salai, Chennai – 600 002 on any working day not less than fourteen days before the date fixed for the Extraordinary General Meeting i.e., **on or before 5:00 p.m. on Tuesday, the 04th November, 2025.**

d) The said nomination forms and other documents should be complete in all respects failing which, the nominations are liable to be rejected.

Please note that the Bank shall not be responsible for non-receipt or late receipt of Nomination forms, in case the same are dispatched through Speed Post/Regd. Post/Courier OR hand delivered without receipt of acknowledgement from an Official of the Investor Relations Cell.

SCRUTINY OF NOMINATIONS AND ELECTION OF DIRECTORS:

- a) Pursuant to Regulation 66 of the Regulations, Nominations shall be scrutinized on **Wednesday, 05th November, 2025**, the first working day following the last date fixed for the receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons thereof.
- b) Valid Nominations shall also be subjected to scrutiny by the Nomination and Remuneration Committee of the Board in terms of RBI Notifications / GOI guidelines. As restriction imposed by RBI Notification and GOI Guidelines are similar in nature, the Bank may consider the stricter of the two while determining the Fit & Proper status of the Candidates
- c) The Bank may at the time of scrutiny by the Nomination and Remuneration Committee of the Board seek further information, documents from the candidates in support of his/her candidature.
- d) After scrutiny, if there is only one valid nomination for the one vacancy to be filled by the election, the candidate so nominated and found Fit & Proper, shall be deemed to be elected forthwith and his / her name and address shall be published as so elected. In such an event, there shall not be any election/voting and the agenda at the Extraordinary General Meeting shall not be considered. The newly elected director will assume office from the date following that on which he/she is deemed to be elected.

In such an event as the EGM has been convened only for the purpose of Election of One Shareholder Director, the EGM shall stand cancelled.

- e) If there are more than one valid nomination, election will be held and candidates polling the majority of the votes at the election will be deemed to have been elected and their name will be published in newspapers and the website of the Bank and will also be informed to the Stock Exchanges.

WITHDRAWAL OF NOMINATIONS:

In the event of more than one valid candidate and any of candidate(s) desires to withdraw his/her nomination, he/she would be entitled to do so by emailing a scanned copy of the signed letter to this effect addressed to Deputy General Manager, Indian Overseas Bank, Investor Relations Cell, Balance Sheet Management Department, Central Office, 763, Anna Salai, Chennai – 600 002 at investor@iobnet.co.in by **5:00 p.m., on or before Saturday, 15th November, 2025.**

VOTING RESULTS:

The Bank has appointed M/s. R Sridharan & Associates, Company Secretaries (FCS: 4775 and CP No. 3239) as Scrutinizer who will oversee the conduct of the remote e-voting and e-voting at the EGM in a fair and transparent manner.

The Scrutinizer shall submit a consolidated Scrutinizer's Report on the total votes (Remote e-voting and e-voting during the meeting) cast to the Chairman of the Meeting within two working days of conclusion of the EGM and thereafter, the Bank shall declare the result of the voting forthwith by placing the Results along with the Scrutinizer's Report on the website of Stock Exchanges, e-voting agency and the Bank.

DISPUTES:

If there is any dispute, the same will be settled as per Regulation 67 of the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003.

REMOVAL OF A DIRECTOR:

Attention of shareholders is invited to Section 9(3B) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 on the right of Reserve Bank of India to remove a Director so elected under Section 9(3)(i) of the said Act, who does not fulfil the requirements of Section 9(3A) of the said Act.

INTEREST OF DIRECTORS:

Directors of the Bank, in case they decide to contest the elections, may be deemed to be concerned or interested in the aforesaid item of business.

**By Order of the Board of Directors
For Indian Overseas Bank**

Sd/-

**Place : Chennai
Date : 18th October, 2025**

**Ajay Kumar Srivastava
Managing Director & CEO**

NOMINATION FORM
(Refer Regulation 65 of the IOB Regulations)

To
The Managing Director & CEO
Indian Overseas Bank
Central Office,
Chennai – 600 002

Dear Sir,

ELECTION OF DIRECTORS

With reference to your EGM Notice dated I, Shri / Smt a shareholder of Indian Overseas Bank holding equity shares of Rs. 10/- each as oni.e., the Specified/Cutoff Date for participating in the Election, do hereby nominate Shri / Smt.son / daughter / wife ofresiding at for being elected as a Director of Indian Overseas Bank representing the shareholders of the Bank as provided in Section 9(3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Bank to be held on

Name	
Signature	
No. of shares	
Regd. Folio No. (if not dematerialized)	
DP ID No. & Client ID No. (If dematerialized)	
Place	
Date	

Notes:

- a) In case nomination is made by a body corporate, the Nomination Form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.
- b) Signature of the shareholders nominating the candidature should match with the specimen signature available with the Share Transfer Agent of the Bank.
- c) If any of the columns above is left blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected.

Indian Overseas Bank
Central Office: 763, Anna Salai, Chennai – 600 002

Declaration
(By the candidate)
(Refer Regulation 65 of the IOB Regulations)

I,son / daughter / wife of Shri / Smt.
resident of hereby confirm that :

- a. I am a shareholder holding equity shares of the Bank under Folio No._____ / DP ID No. _____ / Client No._____ as ON..... i.e. the Specified/Cutoff date for participating in the elections and undertake to hold the shares till the end of the tenure, if elected as a Director of the Bank.
- b. I have special knowledge or practical experience in *(i) agriculture and rural economy, (ii) banking, (iii) co-operation, (iv) economics, (v) finance (vi) law, (vii) small scale industry or Information Technology, Payment & Settlement systems, Human Resources, Risk Management, Business Management (special knowledge of and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank would be useful to the Bank) and/or I represent the interest of the depositors or farmers, workers and artisans, in terms of sub-section 3A of Section 9 of the Act and as an evidence thereof, I submit herewith the relevant testimonials, and (*Delete whichever is not applicable)
- c. I accept the nominations numbered from to And
- d. I am willing to contest for the election of Director of Indian Overseas Bank and
- e. I am not disqualified from being a director of the Bank under the provisions of The Banking Regulation Act, 1949, The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 and amended upto 2008 and Notification issued by RBI and Guidelines issued by GOI with regard to Non- Official Directors of Public Sector Banks.
- f. I neither hold any office of profit nor am I an employee of any Nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959.
- g. I am not disqualified under Section 164 of the Companies Act, 2013

I further declare that:

- h. I have not been at any time adjudicated as an insolvent or have suspended payment or have been compounded with the creditors and
- i. I have not been found to be of unsound mind and stand so declared by a competent court and has not been convicted by competent court and have not been convicted by a criminal court and have not been convicted by a criminal court of an offence which involves moral turpitude and
- j. I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Officer or Judicial Magistrate or High Court or any other Court; and
- k. I will not undertake any professional relationship with the Bank during my tenure as Director and for a period of two years thereafter.

- I. I am not a member of the Board of any Bank or the Reserve Bank or a Financial Institution (FI) or an Insurance Company or a NOFHC holding any other Bank.
- m. I am not connected with hire purchase, financing, money lending, investment, leasing and other para banking activities.
- n. I have not served as Director in the past on the board of any Bank/FI/ RBI/Insurance Company under any category for six years, whether continuously or intermittently.
- o. I am not engaged in the business of stock broking.
- p. I am not holding the position of a Member of Parliament or State legislature or Municipal Corporation or Municipality or other local bodies (other local bodies means bodies such as Notified Area Council, City Council, Panchayat, Gram Sabha, Zila Parishad, etc.)
- q. I am not acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as a Statutory Central Auditor of any Nationalised Bank or State Bank of India.
- r. I am not acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor of the Indian Overseas Bank in which nomination for election is filed.
- s. I neither have any business connection (including legal services, advisory services etc.) with the Indian Overseas Bank nor am I engaged in activities which might result in a conflict of business interests with Indian Overseas Bank.
- t. I am not having any professional relationship with a Bank or any NOFHC holding any other bank and undertake to sever the relationship, if any, with the Bank if elected before assuming charge as a Director.
- u. I am not under adverse notice of any regulatory or supervisory authority/agency, or law enforcement agency and I am not defaulter of any lending institution.
- v. I undertake to execute Deed of Covenant (in the prescribed format of RBI Master Directions dated 02.08.2019) before assuming office as a Director.
- w. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants.
- x. I undertake to comply with relevant provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended till I hold the position as Director of the Bank, if elected
- y. I am not a Director in any other Bank or Financial Institution or RBI or Insurance Company in the past under any category for two terms or six years whichever is longer and whether continuously or intermittently; and
- z. I will sever professional relationship, if any, with the Bank forthwith on getting elected and will not undertake any professional relationship with the Bank during my tenure as Director and for a period of two years thereafter; and

aa. I give below the details of my present as well as past directorships in other companies / banks :

Name of the company, bank etc.	Directorship details viz. tenure, period etc.

bb.I enclose my personal details in the Personal Information, Declaration and Undertaking Form, which are to the best of my knowledge and belief true and complete in all respects,

Name	
Signature	
No. of shares	
Regd. Folio No. / DP ID No. & Client ID No.	
Place	
Date	

The above declaration was signed before me.

Signature with seal

Name of the attesting official

The declaration must be signed by the nominee before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances, or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or Indian Overseas Bank or any Nationalized Bank.

PERSONAL INFORMATION, DECLARATION & UNDERTAKING**Indian Overseas Bank**

Affix Self
Attested
Passport Size
Photo here

Declaration and Undertaking by the Candidate with enclosures as appropriate as on _____ 2025

I. Personal Details of the Candidate		
a.	Full Name (in block capital letters)	
b.	Father's/Husband's name (in full)	
c.	Date of Birth	
d.	Gender	
e.	Academic Qualifications (Please attach self attested copies of the certificates supporting the information)	
f.	Professional Qualifications (Please attach self attested copies of the certificates supporting the information)	
g.	Permanent Address	
h.	Present Address	
i.	E-mail address Telephone Number (Landline) Telephone Number (Mobile)	
j.	Nationality	
h.	Director Identification Number	
i.	Aadhaar Number	
j.	1. Permanent Account Number (PAN) (under the Income Tax Act) (Please enclose a copy) 2. Name and address of the Income Tax Circle / Division where personal tax returns are being filed 3. Details of filing of return(s) and payment of taxes for past 3 years	
k.	Details in the form of a brief write up on the relevant knowledge or experience in respect of one or more of the matters namely accountancy, agriculture and	

	rural economy, banking, co-operation, economics, finance, law, small scale industry, information technology, payment and settlement systems, human resources, risk management, business management or any other matter the special knowledge of and practical experience of which would in the opinion of the Reserve Bank be useful to the Banking Company.									
I.	Present occupation (designation, name of the organisation and brief write-up on experience)									
m.	Previous occupation covering minimum of past ten years, with complete address of the organisation(s) worked in, date of joining, date of relieving (including reasons), designation, etc.									
n.	In case a Chartered Accountant, indicate the following: (a) Membership Number of Institute of Chartered Accountants of India (ICAI): (b) Date of registration with the ICAI (c) Name and Address of the registered firm/s: (d) Details of the Audit(s) presently undertaken by the firm(s) or by you:									
o.	Name of the banker(s) with Branch and Account Numbers (savings/ current/loan accounts) where you are a primary account holder:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bank Name</th> <th>Branch</th> <th>Type of A/C</th> <th>A/C Number</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Bank Name	Branch	Type of A/C	A/C Number				
Bank Name	Branch	Type of A/C	A/C Number							
p.	Details of shareholding, if held in any entity, either in physical or dematerialized form, by you, spouse and your minor child. (attach demat/shareholding certificate)									
q.	Any other information relevant to Directorship of the Bank									
II	Relevant Relationships of the Candidate									
a.	List of relatives if any, who are connected with the Bank (Refer Section 2(77) of the Companies Act, 2013 read with Rule 4 of Companies (Specification of Definitions Details) Rules, 2014									
b.	List of entities in which: (a) interested [Refer Section 184 of the Companies Act, 2013]: (b) beneficial ownership [Refer Section 89 of Companies Act, 2013 as also the applicable Significant Beneficial Ownership Rules of MCA]: (c) Trustee (also mention any other relationship with reference to a trust):									
c.	List of entities in which he / she is									

	<p>considered as holding substantial interest within the meaning of section 5 (n-e) of The Banking Regulation Act 1949, proposed and existing</p> <p>“Substantial Interest” (i) in relation to a company, means the holding of a beneficial interest by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together, in the shares thereof, the amount paid up on which exceeds rupees two crores or ten percent of the paid-up capital of the company, whichever is less; (ii) in relation to a firm, means the beneficial interest held therein by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together, which represents more than ten per cent of the total capital subscribed by all the partners of the said firm</p>	<table border="1"> <tr> <td>Name of the company / firm</td><td></td></tr> <tr> <td>Country of incorporation</td><td></td></tr> <tr> <td>Number of shares</td><td></td></tr> <tr> <td>Face Value of each share</td><td></td></tr> <tr> <td>Total face value of share holding</td><td></td></tr> <tr> <td>Shareholding as % of total Paid up Capital</td><td></td></tr> <tr> <td>Beneficial interest (in value as well as % terms)</td><td></td></tr> <tr> <td>Whether the entity is a Section 8 Company under Companies Act, 2013</td><td></td></tr> </table>	Name of the company / firm		Country of incorporation		Number of shares		Face Value of each share		Total face value of share holding		Shareholding as % of total Paid up Capital		Beneficial interest (in value as well as % terms)		Whether the entity is a Section 8 Company under Companies Act, 2013	
Name of the company / firm																		
Country of incorporation																		
Number of shares																		
Face Value of each share																		
Total face value of share holding																		
Shareholding as % of total Paid up Capital																		
Beneficial interest (in value as well as % terms)																		
Whether the entity is a Section 8 Company under Companies Act, 2013																		
d.	Details of holdings in entities incorporated abroad and having a place of business in India																	
e.	Name of Bank/NBFC/any other company in which currently or in the past a member of the Board/ Advisor etc. (giving details of period during which such office is being/ was held).																	
f.	If connected with any entity undertaking hire purchase, financing, investment, leasing and other para banking activities (nature of association to be mentioned), details thereof.																	
g.	If a stockbroker or connected with any entity engaged in share broking activities, details thereof.																	
h.	List of entities in which the related parties of the candidate are considered as holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne) of the Banking Regulation Act, 1949.																	
i.	Fund and Non-Fund Facilities, if any, presently availed of by him / her and / or by entities listed in II (b) and II (c) above from the Bank																	
j.	Cases, if any, where the candidate or entities listed in II (b) and (c) above are in default or have been in default in the past in respect of credit facilities obtained from the Bank or any other bank/Financial Institution																	
III	Records of professional achievements																	
a.	Professional achievements relevant for the Directorship																	

IV	Proceedings, if any, against the Candidate	
a.	If the candidate is a member of a professional association/body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the candidate or whether the candidate has been banned from entry of any profession/occupation at any time.	
b.	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the candidate and/or against any of the entities listed in II (b) and II (c) above, for violation of economic laws and regulations.	
c.	Details of criminal prosecutions, if any, pending or commenced or resulting in conviction, in the past, against the candidate.	
d.	If indulged in any breach of AML/CFT guidelines, details thereof.	
f.	Whether the candidate attracts any of the disqualifications envisaged under Section 164 of the Companies Act 2013 and Rules made thereunder read with Clause 10 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970.	
g.	a) If convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral turpitude or otherwise, details thereof. b) If convicted by any Court of law, details thereof ?	
h.	If holding any office of profit under any nationalized bank or State Bank of India, except for holding the post of a whole-time director, details thereof	
i.	If as an individual or any of the entities at II (b) to (h) above have been subject to any investigation/vigilance/ matters of enquiry from any of the previous employers or government departments or agency, details thereof.	
j.	Has the Candidate at any time been found guilty of violation of rules / regulations / legislative requirements by customs / excise / income tax / foreign exchange / other revenue authorities? If so, please furnish particulars.	
k.	Whether the Candidate or entities listed in II (a) and II (b) above has at any time come to the adverse notice of a regulator such as SEBI, DCA, RBI, IRDA, MCA, FEMA, CIBIL etc.	

	(Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings made by regulators which have been later on reversed/set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal / setting aside is for technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, etc., and not on merit. If the order of the regulator is temporarily stayed and the appellate/court proceedings are pending, the same also should be mentioned).	
V	GENERAL INFORMATION	
a.	If a professional like Chartered Accountant, Advocate etc. and presently undertaking/ undertaken any professional work in any bank, provide details thereof including the name of the bank and period of association with the bank.	
b.	If a sitting MP/MLA/MLC or holding political position in Municipal Corporation or Municipality or other local bodies, provide details thereof	
c.	In carrying out his/her duties, will the candidate/ director be acting on the directions or instructions of any other individual or institution or bank or companies, etc.? If so, give particulars.	
d.	Has the candidate in his/her individual capacity undertaken any business with the Bank? If so, give particulars.	
VI	In the interest of disclosure and transparency, should there be any other information relevant for assessing 'fit and proper' provide details thereof	

Undertaking:

I _____ Son / Daughter / Wife of
Shri _____ confirm that the above information is to the best of my
knowledge and belief, true and complete. I undertake to keep the Bank fully informed,
as soon as possible, of all events which take place subsequent to my appointment,
which are relevant to the information provided above.

I also undertake to execute the Deed of Covenants upon my election as Director of the
Bank.

Date: _____ Signature of the candidate

Place:

Enclosures:

1. Wherever space is not sufficient, please attach the information as annexures in
chronological order and with appropriate cross reference.
2. All pages (including annexures) are required to be signed by the candidate.

Observation of Nomination and remuneration Committee

Committee Member	Committee Member	Committee Member

Place:

Date: